

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Department of Consumer Affairs)
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt of India]
Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002

**ADVERTISEMENT NO. 01/2024/ESTT**

Bureau of Indian Standards (BIS), under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Govt. of India and responsible for activities in the field of Standardization, Product and System Certification, Hallmarking of Gold/Silver Jewellery, Laboratory Testing, etc. in the country, **INVITES** on-line applications from the ELIGIBLE individuals for filling up of vacancies by DIRECT RECRUITMENT in the following posts at BIS Headquarters, New Delhi and BIS Offices located in the country, as per the details given below:

1. DETAILS OF VACANCIES

Sl. No.	Name of the post	Pay Level of the post	Maximum age limit	Total vacancies	UR	EWS	SC	ST	OBC	Horizontal vacancies		
										PwD	EXSM	
ADMINISTRATION & FINANCE POSTS												
GROUP A POSTS (TO BE FILLED UP BY DIRECT RECRUITMENT):												
1	Assistant Director (Administration & Finance)- For (Finance)	Level-10 (56100-177500)	35 Years	01	-	01	-	-	-	-	-	
2	Assistant Director (Marketing & Consumer Affairs)	Level-10 (56100-177500)	35 Years	01	-	-	-	-	01	-	-	
3.	Assistant Director (Hindi)	Level-10 (56100-177500)	35 Years	01	01	-	-	-	-	-	-	
GROUP B POSTS (TO BE FILLED UP BY DIRECT RECRUITMENT):												
4	Personal Assistant	Level-6 (35400-112400)	30 Years	27	12	02	04	02	07	02 [01 VI, 01 OH]	-	
5	Assistant Section Officer	Level-6 (35400-112400)	30 Years	43	15	05	06	03	14	01 (HI)	-	
6	Assistant (Computer Aided Design)	Level-6 (35400-112400)	30 Years	01	01	-	-	-	-	-	-	
GROUP C POSTS (TO BE FILLED UP BY DIRECT RECRUITMENT):												
7	Stenographer	Level-4 (25500-81100)	27 Years	19	10	02	01	02	04	01 [01VI]	01	
8	Senior Secretariat Assistant	Level-4 (25500-81100)	27 Years	128	58	12	19	05	34	05[02 HI, 02VI, 01 IDMI]	12	
9.	Junior Secretariat Assistant	Level-2(19900-63200)	27 Years	78	32	08	10	06	22	02[01 HI, 01 IDMI]	07	
LABORATORY TECHNICAL POSTS												
GROUP B POSTS (TO BE FILLED UP BY DIRECT RECRUITMENT):												
10	Technical Assistant (Laboratory)	Level-6 (35400-112400)	30 Years	27	16	02	01	04	04	03 [01 VI, 01 HI, 01 IDMI]	-	
		Discipline wise vacancies										
		Mechanical			13	07	01	01	02	02	-	-
		Chemical			12	07	01	-	02	02	-	-
		Microbiology			02	02	-	-	-	-	-	-
GROUP C POSTS (TO BE FILLED UP BY DIRECT RECRUITMENT):												
11	Senior Technician	Level-4 (25500-81100)	27 Years	18	11	01	01	01	04	01[01 HI]	01	
		Discipline wise vacancies										
		Carpenter			07	03	01	01	01	01		
		Welder			01	01	-	-	-	-		
		Plumber			02	01	-	-	-	01		
		Fitter			05	04	-	-	-	01		
Electrician/Wiremen				03	02	-	-	-	01	-	-	
12	Technician (Electrician/Wireman	Level-2 (19900-63200)	27 Years	01	-	-	-	-	01	-	-	

Abbreviations:

UR- Unreserved	OBC - Other Backward Classes	EWS - Economically Weaker Section
PwD- Persons with Disability	SC - Scheduled Castes	ST - Scheduled Tribes
EXSM - Ex-servicemen	HI - Hearing Impairment	VI - Visual Impairment
LD- Locomotor Disability	ID&MI/MD- Intellectual Disability & Mental Illness/Multiple Diseases	

Note:

- i) "Interlocking reservation" will be provided to PwD candidates as per Govt. of India instructions"
- ii) PwD with minimum 40% disability shall only be eligible to apply for competing against the vacancies reserved for them or availing any relaxation/concession.
- iii) Number of vacancies may increase or decrease for filling up, as per requirement.
- iv) BIS reserves right to post the candidates on appointment in any of its offices located in the country.
- v) **IMPORTANT NOTE:** The candidates possessing the prescribed qualification, experience, age, etc in the advertisement, as on the last date of application, shall only be eligible for the posts advertised.
- vi) Online Registration of Applications: From 09 September 2024 (00:00 hrs) to midnight of 30 September 2024.

2. EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

(for the posts to be filled up by Direct Recruitment):

Sl No	Name of the post	Educational & Other Qualifications required
1	Assistant Director (Administration & Finance) For Finance	(i) Chartered Accountant/ Cost and works Accountant / subordinate accounts service Accountant/ Master of Business Administration (with Finance specialization) from a recognized university/ All India Council for Technical Education approved Institution; and (ii) Three years' Experience in the relevant field in Central/State/ Union Territory Government or Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking / reputed Government Agency.
2	Assistant Director (Marketing & Consumer Affairs)	(i) Masters of Business Administration (Marketing) or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or Master's Degree or Post Graduate Diploma in Social Work from a recognized University/Institution; and (ii) Five years' experience in the field of Marketing / Mass Communication / Social Work in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.
3	Assistant Director (Hindi)	(i) Master's Degree/ Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in Hindi with English as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in English with Hindi as a subject at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the Degree level; or Master's Degree/Post Graduate Degree or equivalent of a recognized University in any subject with English/Hindi medium and Hindi/English as subjects at the Degree level; and (ii) Five years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa in Central Government/ State Government/ Union Territory Government/ Statutory/ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking/ reputed Government agency.
4	Personal Assistant	(a) Degree from a recognized University; (b) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-6 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and (c) Shorthand test in English or Hindi comprising dictation test at hundred words per minute for seven minutes which the candidates shall be required to transcribe in forty-five minutes (English dictation) and in sixty minutes (Hindi dictation) and knowledge of computer. Visually disabled candidates having disability of forty percent and above will be required to transcribe the matter in seventy minutes for English shorthand test and in ninety minutes for Hindi shorthand test. Permissible mistakes: five percent. The permissible mistakes shall be relaxable upto ten percent, if adequate number of qualified candidates (i.e. with five per cent mistakes) are not available in any category against the vacancies advertised.
5	Assistant Section Officer	(i) Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent; and (ii) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-6 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and (iii) Qualifying Skill Test in Computer Proficiency.
6	Assistant (Computer Design) Aided	Bachelor's Degree in Science with five years' experience in Auto CAD and working knowledge of typography; or Bachelor's Degree in Science with five years' experience in Auto CAD and draftsmanship in the relevant discipline; or Diploma in Engineering in Civil/ Mechanical/ Electrical with five years' experience in Auto CAD and draftsmanship in the relevant discipline.

Sl No	Name of the post	Educational & Other Qualifications required
7	Stenographer	(i) Bachelor's Degree from a recognized University; (ii) Computer Proficiency Test: The candidate should be proficient at least upto Level-5 of National Skill Qualification Framework. The test shall be qualifying in nature; and (iii) Shorthand Test: English/Hindi Shorthand test at the speed of eighty words per minute which the candidates shall have to transcribe on Computer in fifty or sixty five minutes, respectively. Visually disabled candidates having disability of forty percent and above will be required to transcribe the matter in seventy minutes for English shorthand test and in ninety minutes for Hindi shorthand test. Permissible mistakes: five percent. The permissible mistakes shall be relaxable upto ten percent, if adequate number of qualified candidates (i.e. with five percent mistakes) are not available in any category against the vacancies advertised.
8	Senior Secretariat Assistant	(i) Bachelor's Degree from a recognized University; and (ii) Qualifying Skill Test in Computer Proficiency consisting of: (a) Word Processing Test - 2000 Key Depressions in fifteen minutes; (b) Test in Spread Sheets on Microsoft Excel - fifteen minutes; and (c) Test in Power Point (Microsoft PowerPoint) – fifteen Minutes
9	Junior Secretariat Assistant	(i) Bachelor's Degree from a recognized university; (ii) Computer Proficiency Test: The Candidate should be proficient at least upto Level 5 of National Skill Qualification framework. The test shall be qualifying in nature; and (iii) Typing Speed Test : A typing speed of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on Computer (thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) (Time allowed – Ten minutes)
10	Technical Assistant (Lab)	For Mechanical Discipline: Three years diploma in Mechanical with minimum sixty per cent marks (fifty per cent marks for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes). For Chemical Discipline Bachelor's Degree in Science (with Chemistry as one of the main subject) with minimum sixty percent marks (fifty percent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) For Microbiology Discipline Bachelor's Degree in Science (with Microbiology as one of the main subject) with minimum sixty percent marks (fifty percent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)
11	Senior Technician	(i) Matric or its equivalent; (ii) Industrial Training Institute Certificate in any of the following trades: (a) Electrician; (b) Fitter; (c) Carpenter; (d) Plumber; (e) Wireman (f) Welder (the Welder should be also having passed the Welders' Qualifying Test as per the relevant Indian Standard or its equivalent); and (iii) two years' practical experience in the respective trade after having obtained the Industrial Training Institute Certificate or National Apprenticeship Certificate in the relevant trade.
12	Technician	(i) Matric or its equivalent; (ii) Industrial Training Institute certificate in any of the following trades: (a) Electrician; (b) Wireman ; and (iii) National Apprenticeship Certificate in the relevant trade.

3. PROCESS OF RECRUITMENT (for the posts to be filled up by Direct Recruitment):

Sl. No.	Name of the post	Process of Recruitment
1	Assistant Director (Administration & Finance)- For Finance	a) On-line Exam; and b) Interview
2	Assistant Director (Marketing & Consumer Affairs)	a) On-line Exam; and b) Interview
3	Assistant Director (Hindi)	a) On-line Exam; and b) Interview
4	Personal Assistant	a) On-line Exam; and b) Skill Test: (i) <u>Computer Proficiency Test:</u> The test shall comprise course on Level-6 of National Skill Qualification Framework, which shall be qualifying in nature. (ii) <u>Shorthand Test</u> . Shorthand test in English or Hindi comprising dictation test at hundred words per minute for seven minutes which the candidates shall be required to transcribe in forty five minutes (English dictation) and in sixty minutes (Hindi dictation) and knowledge of computer. <i>Visually disabled candidates having disability of forty percent and above will be required to transcribe the matter in seventy minutes for English shorthand test and in ninety minutes for Hindi shorthand test.</i> The test shall be qualifying in nature.
5	Assistant Section Officer	a) On-line Exam; and b) Skill Test: (i) <u>Computer Proficiency Test:</u> The test shall comprise course on Level-6 of National Skill Qualification Framework, which shall be qualifying in nature (ii) <u>Typing Speed Test:</u> [A typing speed of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer (thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). Time allowed - ten minutes]. The test shall be qualifying in nature.
6	Assistant (Computer Aided Design)	a) On-line Exam ; and b) Practical Skill Test on drawing using Auto CAD/draftsmanship. The test shall be qualifying in nature.
7	Stenographer	a) On-line Exam; and b) Skill Test: (i) <u>Computer Proficiency Test:</u> The test shall comprise course on Level-5 of National Skill Qualification Framework, which shall be qualifying in nature (ii) <u>Shorthand Test</u> . English/Hindi Shorthand test at the speed of eighty words per minute which the candidates shall have to transcribe on Computer in fifty or sixty five minutes, respectively. The test shall be qualifying in nature.
8	Senior Secretariat Assistant	a) On-line Exam; and b) Qualifying Skill Test in Computer Proficiency consisting of: (a) Word Processing Test - 2000 Key Depressions in fifteen minutes; (b) Test in Spread Sheets on Microsoft Excel - fifteen minutes; and (c) Test in Power Point (Microsoft Power Point) – fifteen Minutes
9	Junior Secretariat Assistant	(a) On-line exam ; and (b) Typing Speed Test: A typing speed of Thirty-five words per minute in English or Thirty words per minute in hindi on Computer (Thirty Five words per minute and Thirty Words per minute correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). Time allotted- (10 Minutes). The test shall be qualifying in nature.
10	Technical Assistant (Lab)	a) On-line Exam; and b) Practical/Skill Test
11	Senior Technician	a) On-line Exam; and b) Practical/Trade Test
12	Technician	a) On-line Exam; and b) Practical/Trade Test

ON-LINE EXAMINATION: Details regarding structure of On-line Examination; Age relaxation; Examination Centre's; and other Guidelines / information for appearing in on-line examination for the posts to be filled up direct recruitment, are given below:

A) STRUCTURE OF ONLINE EXAM

- i) For the posts of **Assistant Director (Hindi), Assistant Director (Finance) and Assistant Director (Marketing & Consumer Affairs)**, the exam shall be of Post-graduate Level comprising of the following syllabus:

Sl. No.	Name of the Test	No. of Questions	Maximum Marks	Duration	Version
1.	General Intelligence & Reasoning	40	40	30 minutes	Bilingual i.e. English and Hindi except for the test of English Language
2.	English Language	40	40	30 minutes	
3.	Quantitative Aptitude	20	20	20 minutes	
4.	- <u>For Assistant Director (Hindi):</u> Domain Knowledge in Hindi Language - <u>For Assistant Director (Finance)-</u> Domain Knowledge in Finance - <u>For Assistant Director (Marketing & Consumer Affairs):</u> Domain knowledge in Public Relations/ Publicity/ Advertising/ Scientific Journalism	50	50	40 minutes	
Total		150	150	120 minutes	

The candidates will be required to secure atleast 50 % marks in aggregate out of total maximum marks in the on-line examination, to be considered for interview.

- ii) For the posts of **Technical Assistant (Laboratory) and Assistant (Computer Aided Design)** the exam shall be of Graduate Level and for the post of **Senior Technician, & Technician** the exam shall be of Senior Secondary Level and Secondary Level respectively; comprising of the following syllabus:

Sl. No.	Name of the Test	No. of Questions	Maximum Marks	Duration	Version
1.	General Intelligence & Reasoning	50	50	40 minutes	Bilingual i.e. English and Hindi except for the test of English Language
2.	General Awareness	25	25	20 minutes	
3.	English Language	25	25	20 minutes	
4.	Technical Assistant (Lab.) Technical Knowledge of concerned discipline (Mechanical, Chemical, Microbiology) Assistant (Computer Aided Design) Question related to Typography, Auto CAD, Press work and Draftsmanship Senior Technician Questions related to common syllabus of ITI & relevant trade (Senior Secondary Level) Technician Questions related to common syllabus of ITI & relevant trade (Secondary level)	50	50	40 minutes	
Total		150	150	120 minutes	

The candidates will be required to secure atleast 50 % marks in the concerned discipline and also at least 50% marks in aggregate out of total maximum marks in the on-line examination, to be called for skill test/practical test/trade test, which shall be qualifying in nature.

- iii) For the posts of **Assistant Section Officer, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant and Junior Secretariat Assistant** the exam shall be of Graduate Level comprising of the following syllabus:

Sl. No.	Name of the Test	No. of Questions	Maximum Marks	Duration	Version
1.	General Intelligence & Reasoning	50	50	35 minutes	Bilingual i.e. English and Hindi except for the test of English Language
2.	General Awareness	25	25	20 minutes	
3.	Quantitative Aptitude	25	25	25 minutes	
4.	English Language	50	50	40 minutes	
Total		150	150	120 minutes	

The candidates will be required to secure atleast 50 % marks in aggregate out of total maximum marks in the on-line examination, to be considered for next selection process.

B) UPPER AGE RELAXATION

Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under:

Sl No.	Category	Age-relaxation permissible beyond the upper age limit
1	SC/ ST	5 years
2	OBC	3 years
3	PwD (UR/EWS)	10 years
	PwD (OBC)	13 years
	PwD (SC/ ST)	15 years
4	EX-SERVICEMEN	
	Group A & B posts - (Ex-Servicemen (EXSM) commissioned Officers including ECOs/ SSCOs)	05 years
	Group C posts - Ex-Servicemen (UR/EWS)	03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application
	Group C posts - Ex-Servicemen (OBC)	06 (3+3) years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application.
	Group C posts - Ex-Servicemen (ST/SC)	08 (3+5) years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application.
5	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof	03 years
	Defence Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof (SC/ ST).	08 years
6	FOR GROUP C POSTS	
	Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried	35 years
	Widows/ Divorced Women/ Women judicially separated and who are not remarried (SC/ST).	40 years
7	BIS employees [Serving only]	Upto 50 years

NOTE:

- Cumulative Age Relaxation will not be available either under the above items or in combination with any other items.
- As BIS is an autonomous body, age relaxation is not provided to Central Government employees.

Age relaxation for Ex-Servicemen (on the closing date of On-line registration of applications)

1) FOR THE POSTS OF ASSISTANT DIRECTOR (HINDI), ASSISTANT DIRECTOR (FINANCE), ASSISTANT DIRECTOR (MARKETING & CONSUMER AFFAIRS), ASSISTANT SECTION OFFICER, PERSONAL ASSISTANT, ASSISTANT (COMPUTER AIDED DESIGN) AND TECHNICAL ASSISTANT (LABORATORY):

- a) upto a maximum of three years (eight years for SC/ST) in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.
- b) upto a maximum of five years in the case of Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on and have been released; (a) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (b) on account of physical disability attributable to Military Service, or (c) on invalidment.
- c) upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years Military Service as on 30 September 2024 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

2) FOR THE POSTS OF STENOGRAPHER, SENIOR SECRETARIAT ASSISTANT, SENIOR TECHNICIAN , JUNIOR SECRETARIAT ASSISTANT and TECHNICIAN:

- a) Ex-servicemen who have put in not less than six months' continuous service in the Armed Forces shall be allowed to deduct the period of such service from his actual age and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age by more than three years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit;
- b) Those ex-servicemen who have already secured regular employment under the Central Government in civil post would be permitted the benefit of age relaxation as admissible for ex-servicemen for securing another employment in any higher post or service under the Central Government irrespective of any Group/Post. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation, if any, for ex-servicemen in Central Government [O.M. 36034/6/90-Estt(SCT) dated 10.10.94; and
- c) Disabled Defence Services Personnel will be allowed a relaxation of age limit up to three years (eight years in the case of disabled Defence Services Personnel belonging to SC/ST) in excess of the prescribed upper age-limit, subject to the condition that they would not be allowed to avail of a larger number of chances in respect of recruitment to a service, or group of services, than the maximum number of chances permissible to any general candidate under the age-limit. (For purpose of claiming the age concession, a certificate from the Director-General, Resettlement, Ministry of Defence will be accepted as a documentary evidence in support of the claim of Disabled Defence Services Personnel).

NOTE I: The term Ex-Servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-Servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

NOTE II: The age concession under para 1(a) & (b) and 2 (a) & (b) above will not be admissible to Ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who are released on own request.

NOTE III: Candidates seeking age relaxation will be required to submit copies of necessary certificate(s) at the time of interview/skill test/shorthand test/practical skill test and at any subsequent stage of the recruitment process, as may be required by BIS.

NOTE IV: SC/ST/OBC (non- creamy layer) candidates applying against un-reserved vacancies i.e. for the posts in which vacancies for SCs/STs/OBCs are not advertised, shall be considered under general standard of merit and no relaxation in upper age limit shall be available to them.

C) EXAMINATION CENTRES (tentative)

The examination will/may be conducted at the following Centres:

Sl.No.	State	Test Cities	Sl.No.	State	Test Cities
1	Andhra Pradesh	Vishakhapatnam	26	Tamil Nadu	Chennai
2	Andhra Pradesh	Guntur/Vijayawada	27	Tamil Nadu	Coimbatore
3	Bihar	Patna	28	Tamil Nadu	Madurai
4	Chhattisgarh	Raipur	29	Telangana	Hyderabad, Khamam
5	Goa	Panaji	30	Uttar Pradesh	Lucknow
6	Gujarat	Ahmedabad/Gandhinagar	31	Uttar Pradesh	Prayagraj
7	Gujarat	Rajkot	32	Uttarakhand	Dehradun
8	Haryana	Chandigarh/Mohali	33	West Bengal	Kolkata
9	Himachal Pradesh	Shimla, Bilaspur	34	Sikkim	Gangtok
10	Jharkhand	Ranchi	35	Assam	Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur & Dibrugarh
11	Karnataka	Bengaluru, Hubli-Dharwad	36	Arunachal Pradesh	Naharlagun
12	Kerala	Thiruvananthapuram	37	Meghalaya	Shillong
13	Kerala	Ernakulam	38	Tripura	Agartala
14	Madhya Pradesh	Bhopal	39	Manipur	Imphal
15	Madhya Pradesh	Gwalior	40	Mizoram	Aizawl
16	Madhya Pradesh	Indore	41	Nagaland	Kohima
17	Maharashtra	Mumbai /Navi Mumbai/Thane/MMR	42	Andaman and Nicobar Islands	Port Blair
18	Maharashtra	Nashik, Chhatrapati Sambhaji Nagar	43	Chandigarh	Chandigarh/Mohali
19	Maharashtra	Pune	44	Delhi/NCR	Delhi/NCR
20	Maharashtra	Nagpur	45	Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu	Surat
21	Odisha	Bhubaneswar	46	Jammu & Kashmir	Jammu & Srinagar
22	Punjab	Chandigarh/Mohali	47	Ladakh	Leh
23	Punjab	Bathinda	48	Lakshadweep	Kavaratti
24	Rajasthan	Jaipur	49	Puducherry	Puducherry
25	Rajasthan	Jodhpur			

1. The examination will be conducted online in venues given in the respective call letters.
2. No request for change of centre/venue/date/session for Examination shall be entertained.
3. BIS, however, reserves the right to cancel any of the Examination Centres and/ or add some other Centres, at its discretion, depending upon the response, administrative feasibility, etc.
4. BIS also reserves the right to allot the candidate to any centre other than the one he/she has opted for.
5. Candidate will appear for the examination at an Examination Centre at his/her own risks and expenses and BIS will not be responsible for any injury or losses etc. of any nature.
6. Choice of centre once exercised by the candidate will be final.

If sufficient number of candidates does not opt for a particular centre for "Online" examination, BIS reserves the right to allot any other adjunct centre to those candidates OR if the number of candidates is more than the capacity available for online exam for a centre, BIS reserves the right to allot any other centre to the candidate.

D) OTHER GUIDELINES / INFORMATION FOR APPEARING IN ON-LINE EXAMINATION

1. CUT-OFFSCORE:

- (i) For the posts of Assistant Director (Hindi), Assistant Director (Finance), Assistant Director (Marketing & Consumer Affairs), Assistant Section Officer, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant and Junior Secretariat Assistant, the candidates will be required to secure at least 50 % marks in aggregate out of total maximum marks in the on-line examination, to be considered for further selection process.
- (ii) For the posts of Technical Assistant (Laboratory), Assistant (Computer Aided Design) Senior Technician, and Technician the candidates will be required to secure at least 50 % marks in the concerned discipline and also at least 50% marks in aggregate out of total maximum marks in the on-line examination, to be considered for further selection process.
- (iii) The corrected marks obtained by each of the candidates in different sessions (If held) will be normalized using equi percentile method; and
- (iv) Mere passing in individual tests may not be sufficient as candidates should also obtain sufficiently high on total in order of merit, to be called for interview/skill test/shorthand test/practical skill test, as the case maybe.

2. PROCESS FOR ARRIVING AT SCORES

The Scores of Online Examination are obtained by adopting the following procedure:

- (i) Number of questions answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the Corrected Score after applying penalty for wrong answers.
 - (ii) The Corrected Scores so obtained by a candidate are made equivalent to take care of the minor difference in difficulty level, if any, in each of the objective tests held in different sessions to arrive at the Equated Scores*
- * Scores obtained by candidates on any test are equated to the base form by considering the distribution of scores of all the forms.
- (iii) Test wise scores and scores on total is reported with decimal point upto two digits.

Note: Cutoffs are applied in two stages:

- (i) on scores in individual tests;
- (ii) on Total Score

3. VERIFICATION OF CANDIDATES: (IDENTITY VERIFICATION)

In the examination hall as well as during the process of selection, the call letter along with original and a photocopy of the candidate's currently valid photo identity (bearing exactly the same name as it appears on the call letter) such as PAN Card/ Passport/ Driving License/ Voter's Card/ Bank Passbook with photograph/ Photo identity proof issued by a Gazetted Officer on official letterhead along with photograph / Photo identity proof issued by a People's Representative on official letterhead along with photograph / valid recent Identity Card issued by a recognized College/ University/ Aadhar card with a photograph/ Employee ID with photograph should be submitted to the invigilator for verification. The candidate's identity will be verified with respect to his/her details on the call letter, in the Attendance List and requisite documents submitted. If identity of the candidate is in doubt the candidate may not be allowed to appear for the Examination.

Ration Card and Learner's Driving License are not valid id proofs.

NOTE: Candidates have to produce/show original the photo identity proof and will have to submit photocopy each of the photo identity proof along with online Examination call letter while attending the examination/ interview/skill test/shorthand test/mini written test respectively, without which they will not be allowed to take up the examination/ interview/skill test/shorthand test/mini written test. Candidates must note that the name as appearing on the call letter (provided during the process of registration) should exactly match the name as appearing on the photo identity proof and all the relevant certificates also. Female candidates who have changed first/last/middle name post marriage must take special note of this. If there is any mismatch between the names indicated in the call letter and Photo Identity Proof the candidate will not be allowed to appear for the examination. In case of candidates who have changed their name, will be allowed only if they produce original Gazette notification / their original marriage certificate/affidavit in original.

4. CANDIDATES REPORTING LATE i.e. after the reporting time specified on the Call letter for Examination, **will not be permitted** to take the examination. The reporting time mentioned on the Admit Card is prior to the Start time of the test. Though the duration of the examination is 2 hours, candidates may be required to be at the venue for about 4 hours including the time required for completion of various formalities such as verification and collection of various requisite documents, logging in, giving of instructions.

5. SELF ENSURING OF ELIGIBILITY

- (i) Before applying for the mentioned posts, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms mentioned in this advertisement. Candidates are therefore required to read this advertisement carefully and follow all the instructions given for submitting online application.
- (ii) Candidate's admission to the examination/ subsequent process is strictly provisional. The mere fact that the Admit Card(s) has been issued to the candidate does not imply that his/her candidature has been finally cleared. BIS would be free to reject any application, at any stage of the process, cancel the candidature of the candidate in case it is detected at any stage that a candidate does not fulfill the eligibility norms and/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or has suppressed any material fact(s). if any of these shortcomings is/are detected after appointment, his/her services are liable to be summarily terminated.
- (iii) Decision of BIS in all matters relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the BIS in this behalf.

6. INTIMATIONS:

- (i) All Intimations regarding online exam or skill/practical/trade test/Interview will be sent by email and/ or sms only at the registered email ID and/or mobile number registered in the online application form for Online Exam.
- (ii) BIS shall not be responsible if the information/ intimations do not reach to the candidates in case of change in the mobile number, email address, technical fault or otherwise, beyond the control of BIS. Candidates are advised to keep a close watch on the BIS Website www.bis.gov.in for latest updates.

7. USE OF MOBILE PHONES, PAGERS, CALCULATORS OR ANY SUCH DEVICES

- (i) Mobile phones, pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement of these instructions shall entail cancellation of candidature and disciplinary action including ban for future examinations.
- (ii) Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned items including mobile phones/ pagers to the venue of the examination, as arrangement for safekeeping cannot be assured.
- (iii) Candidates are not permitted to use or have in possession calculators in examination premises.
- (iv) Other detailed information regarding the Online Exam, will be given in an Information Handout, which will be made available for the candidates to download along with the Admit Cards from the BIS website.
- (v) The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the examination for any post. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature of the both, the candidate and the scribe, will be cancelled. Multiple attendance/ appearances in examination will be summarily rejected/ candidature cancelled.
- (vi) Online applications once registered will not be allowed to be withdrawn and/or the application fee/ intimation charges once paid will not be refunded nor be held in reserve for any other examination.

8. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT/ USE OF UNFAIR MEANS

Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered with or fabricated and should not suppress any material information while submitting online application. At the time of examination, interview or in a subsequent selection procedure, if a candidate is (or has been) found guilty of –

- (i) using unfair means or
- (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or
- (iii) misbehaving in the examination/ interview hall or disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of contents of the test(s) or any information therein in whole or part thereof in any form or by any means, verbal or written, electronically or mechanically for any purpose or
- (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature or
- (v) obtaining support for his/ her candidature by unfair means, or
- (vi) carrying mobile phones or similar electronic devices of communication in the examination/ interview hall, such a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable:
 - (a) to be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period from any examination conducted by BIS
 - (c) for termination of service, if he/ she has already joined the BIS.

9. CALL LETTERS

The Centre, venue address, post applied for, date and time for examination/interview/skill test/shorthand test/mini written test, wherever applicable, shall be intimated in the respective Admit Card. A candidate who has registered successfully should download his/her Admit Card from the BIS's website www.bis.gov.in by entering his/her details i.e. Registration Number and Password/Date of Birth. **No hard copy of the Admit Card/ Information Handout will be sent by post/ courier. Intimations will be sent by email / SMS to the email ID and mobile number registered in the online application form.** BIS will not take responsibility for late receipt/ non-receipt of any communication e-mailed/ sent via SMS to the candidate due to change in the mobile number, email address, technical fault or otherwise beyond the control of BIS.

Candidates are hence advised to regularly keep in touch with the BIS website www.bis.gov.in for updates and any information which may be posted for further guidance as well as to check their registered e-mail account from time to time during the recruitment process.

10. HOW TO APPLY

DETAILED GUIDELINES/PROCEDURES FOR

A. APPLICATION REGISTRATION

B. PAYMENT OF FEES

C. DOCUMENT SCAN AND UPLOAD

Candidates can apply **online only** from 09 September 2024 (00:00 hrs) to midnight of 30 September 2024 and no other mode of application will be accepted.

IMPORTANT POINTS TO BE NOTED BEFORE REGISTRATION

Before applying online, candidates should-

- (i) Scan their :
 - Photograph (4.5cm × 3.5cm)
 - Signature (with black ink)
 - Left thumb impression (on white paper with black or blue ink)
 - A hand written declaration (on a white paper with black ink) (text given below)Ensuring that the all these scanned documents adhere to the required specifications as given in Annexure III to this Advertisement.
- (ii) Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted.
- (iii) The left thumb impression should be properly scanned and not smudged. (If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/ her right thumb for applying.)
- (iv) The text for the hand written declaration is as follows –
“I, _____ (Name of the candidate) hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”
- (v) The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate's hand writing and in English only. If it is written and uploaded by anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid.

- (In the case of Visually Impaired candidates who cannot write may get the text of declaration typed and put their left hand thumb impression below the typed declaration and upload the document as per specifications.)
- (vi) Keep the necessary details/documents ready to make Online Payment of the requisite application fee/ intimation charges
 - (vii) Have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the completion of this Recruitment Process. Intimation shall be sent to download call letters for the Examination etc. through the registered e-mail ID. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID and mobile no. before applying on-line and must maintain that email account and mobile number.

APPLICATION FEES/ INTIMATION CHARGES (NONREFUNDABLE)

APPLICATION FEES/ INTIMATION CHARGES (NON REFUNDABLE) PAYMENT OF FEE ONLINE:

09 September 2024 (00:00 hrs) to midnight of 30 September 2024

Bank Transaction charges for Online Payment of application fees/intimation charges will have to be borne by the candidate.

A. Application Registration

1. Candidates to go to the BIS website www.bis.gov.in click on the option "**APPLY ONLINE**" which will open a new screen.
2. To register application, choose the tab "**Click here for New Registration**" and enter Name, Contact details and Email-id. A Provisional Registration Number and Password will be generated by the system and displayed on the screen. Candidate should note down the Provisional Registration Number and Password. An Email & SMS indicating the Provisional Registration number and Password will also be sent.
3. In case the candidate is unable to complete the application form in one go, he / she can save the data already entered by choosing "SAVE AND NEXT" tab. Prior to submission of the online application candidates are advised to use the "SAVE AND NEXT" facility to verify the details in the online application form and modify the same if required. Visually Impaired candidates should fill the application form carefully and verify/ get the details verified to ensure that the same are correct prior to final submission.
4. Candidates are advised to carefully fill and verify the details filled in the online application themselves as no change will be possible/ entertained after clicking the COMPLETE REGISTRATION BUTTON.
5. The Name of the candidate or his /her Father/ Husband etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the Certificates/ Mark sheets/Identity proof. Any change/alteration found may disqualify the candidature.
6. Validate your details and Save your application by clicking the 'Validate your details' and 'Save & Next' button.
7. Candidates can proceed to upload Photo & Signature as per the specifications given in the Guidelines for Scanning and Upload of Photograph and Signature detailed under point "C".
8. Candidates can proceed to fill other details of the Application Form.
9. Click on the Preview Tab to preview and verify the entire application form before COMPLETE REGISTRATION.
10. Modify details, if required, and click on 'COMPLETE REGISTRATION' ONLY after verifying and ensuring that the photograph, signature uploaded and other details filled by you are correct.
11. Click on 'Payment' Tab and proceed for payment.
12. Click on 'Submit' button.

B. PAYMENT OF FEES

ONLINE MODE

- a. The application form is integrated with the payment gateway and the payment process can be completed by following the instructions.
- b. The payment can be made by using Debit Cards (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets.
- c. After submitting your payment information in the online application form, PLEASE WAIT FOR THE INTIMATION FROM THE SERVER. DO NOT PRESS BACK OR REFRESH BUTTON IN ORDER TO AVOID DOUBLE CHARGE
- d. On successful completion of the transaction, an e-Receipt will be generated.

- e. Non-generation of 'E-Receipt' indicates PAYMENT FAILURE. On failure of payment, Candidates are advised to login again using their Provisional Registration Number and Password and repeat the process of payment.
- f. Candidates are required to take **a printout of the e-Receipt** and online Application Form containing fee details. **Please note that if the same cannot be generated, online transaction may not have been successful.**
- g. For Credit Card users: All charges are listed in Indian Rupee. If you use a non-Indian credit card, your bank will convert to your local currency based on prevailing exchange rates.
- h. To ensure the security of your data, please close the browser window once your transaction is completed.
- i. **There is facility to print application form containing fee details after payment of fees.**

B. Guidelines for scanning and Upload of Documents

Before applying online a candidate will be required to have a scanned (digital) image of his/her photograph, signature, left thumb impression and the hand written declaration as per the specifications given below.

Photograph Image: (4.5cm × 3.5cm)

- Photograph must be a recent passport style colour picture.
- Make sure that the picture is in colour, taken against a light-coloured, preferably white, background.
- Look straight at the camera with a relaxed face
- If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, or place yourself in the shade, so that you are not squinting and there are no harsh shadows
- If you have to use flash, ensure there's no "red-eye"
- If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen.
- Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed but it must not cover your face.
- Dimensions 200 x 230 pixels (preferred)
- Size of file should be between 20kb–50 kb
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50kb. If the size of the file is more than 50 kb, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. of colours etc., during the process of scanning.

Signature, left thumb impression and hand-written declaration Image:

- The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen.
 - Dimensions 140 x 60 pixels (preferred)
 - Size of file should be between 10kb – 20kb for signature and 20kb - 50kb for left thumb impression.
 - Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb
- The applicant has to put his left thumb impression on a white paper with black or blue ink.
 - File type: jpg / jpeg
 - Dimensions: 240 x 240 pixels in 200 DPI (Preferred for required quality) i.e 3 cm * 3 cm (Width * Height)
 - File Size: 20 KB – 50 KB
- The applicant has to write the declaration in English clearly on a white paper with black ink.
 - File type: jpg / jpeg
 - Dimensions: 800 x 400 pixels in 200 DPI (Preferred for required quality) i.e 10 cm * 5 cm (Width * Height)
 - File Size: 50 KB – 100 KB
- The signature, left thumb impression and the hand written declaration should be of the applicant and not by any other person.
- If the Applicant's signature on the attendance sheet or Call letter, signed at the time of the examination, does not match the signature uploaded, the applicant will be disqualified.
- Signature / Hand written declaration in CAPITAL LETTERS shall NOT be accepted.

Scanning the documents:

- Set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi (dots per inch)
- Set Colour to True Colour
- File Size as specified above
- Crop the image in the scanner to the edge of the photograph/signature/ left thumb impression / hand written declaration, then use the upload editor to crop the image to the final size (as specified above).
- The image file should be JPG or JPEG format. An example file name is: image01.jpg or image01.jpeg. Image dimensions can be checked by listing the folder files or moving the mouse over the file image icon.
- Candidates using MS Windows/MsOffice can easily obtain documents in .jpeg format by using MS Paint or MSOffice Picture Manager. Scanned documents in any format can be saved in .jpg / .jpeg format by using 'Save As' option in the File menu. Size can be adjusted by using crop and then resize option.

Procedure for Uploading the documents

- While filling in the Online Application Form the candidate will be provided with separate links for uploading Photograph, signature, left thumb impression and hand written declaration
- Click on the respective link "Upload Photograph / signature / Upload left thumb impression / hand written declaration"
- Browse and Select the location where the Scanned Photograph / signature / left thumb impression / hand written declaration file has been saved.
- Select the file by clicking on it
- Click the 'Open/Upload'
- If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed.
- Preview of the uploaded image will help to see the quality of the image. In case of unclear / smudged, the same may be re-uploaded to the expected clarity /quality.

Your Online Application will not be registered unless you upload your Photograph, signature, left thumb impression and hand written declaration as specified.

Note:

- (1) In case the face in the photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration is unclear / smudged the candidate's application may be rejected.
- (2) After uploading the Photograph / signature / left thumb impression / hand written declaration in the online application form candidates should check that the images are clear and have been uploaded correctly. In case the photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration is not prominently visible, the candidate may edit his/ her application and re-upload his/ her photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration, prior to submitting the form.
- (3) Candidate should also ensure that photo is uploaded at the place of photo and signature at the place of signature. If photo in place of photo and signature in place of signature is not uploaded properly, candidate will not be allowed to appear for the exam.
- (4) Candidate must ensure that Photo to be uploaded is of required size and the face should be clearly visible.
- (5) If the photo is not uploaded at the place of Photo Admission for Examination will be rejected/denied. Candidate him/herself will be responsible for the same.
- (6) Candidates should ensure that the signature uploaded is clearly visible
- (7) After registering online candidates are advised to take a printout of their system generated online application forms.

Procedure for uploading the documents

- While filling in the Online Application Form the candidate will be provided with separate links for uploading left thumb impression and hand written declaration
- Click on the respective link “Upload left thumb impression / hand written declaration”
- Browse and Select the location where the Scanned left thumb impression / hand written declaration file has been saved.
- Select the file by clicking on it
- Click the ‘Open/Upload’ button Your Online Application will not be registered unless you upload your Left thumb impression and hand written declaration as specified.
- If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed.
- Preview of the uploaded image will help to see the quality of the image. In case of unclear / smudged, the same may be re-uploaded to the expected clarity /quality.

Note:

- (1) In case the left thumb impression or the hand written declaration is unclear / smudged the candidate’s application may be rejected.
- (2) After uploading the left thumb impression / hand written declaration in the online application form candidates should check that the images are clear and have been uploaded correctly. In case the left thumb impression or the hand written declaration is not prominently visible, the candidate may edit his/ her application and re-upload his/ her thumb impression / hand written declaration, prior to submitting the form.
- (3) After registering online candidates are advised to take a printout of their system generated online application forms.

D. PAYMENT OF APPLICATION FEES:

- i) For the post of Assistant Director (Hindi), Assistant Director (Finance) and Assistant Director (Marketing & Consumer Affairs), the application fees will be Rs 800/- and for the remaining posts the fee will be Rs.500/-
- ii) No fee to be paid by SCs/STs/PWDs/ Women and BIS serving employees
- iii) The payment of the application fee is to be made through on-line payment method;
- iv) Fees would be payable during online registration of the applications and shall be non-refundable;
- v) Ex-servicemen are exempted from payment of fee **only for Group C posts**;
- vi) Any other charges, if any, incurred for Online Payment of application fees, will have to be borne by the candidate (s).

11. SCHEDULE OF EVENTS shall be as follows:

Online Events	Date (s)/period
Registration of applications	09 September 2024 (00:00 hrs) to midnight of 30 September 2024
Application Fee Payment (on-line)	09 September 2024 (00:00 hrs) to midnight of 30 September 2024
Issue of Admit Card for on-line exam.	10 days before the date of examination
On-line Examination	Tentatively in the month of November 2024

1. Reservation: For details regarding all the reservations, please refer to **Annexure-I**.

2. OTHER IMPORTANT INSTRUCTIONS

- (a) The possibility of occurrence of some problem in the administration of the examination cannot be ruled out completely which may impact test delivery and/or result from being generated. In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates, delay in test. Conduct of a re-exam is at the absolute discretion of test conducting body. Candidates will not have any claim for a re-test. Candidates not willing to move or not willing to participate in the delayed process of test delivery shall be summarily rejected from the process.

- (b) Decision of BIS in all matters relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by BIS in this behalf.
- (c) If the examination is held in more than one session, the scores across various sessions will be equated to adjust for slight differences in difficulty level of different test batteries used across sessions. More than one session are required if the nodes capacity is less or some technical disruption takes place at any center or for any candidate.
- (d) BIS would be analyzing the responses (answers) of individual candidates with those of other candidates to detect patterns of similarity of right and wrong answers. If in the analytical procedure adopted by BIS in this regard, it is inferred/ concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuine/ valid, BIS reserves right to cancel the candidature of the concerned candidates and the result of such candidates (disqualified) will be withheld.
- (e) Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead of disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any BIS recruitment process in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective affect.
- (f) All the communications/directions/information relating to recruitment process or even thereafter shall be made through the registered email ID/SMS at the registered mobile number only. Important notices and information shall be uploaded on BIS website also. Therefore, the candidates should check their email ID/SMS and also visit BIS website regularly for updated information.
- (g) Any resulting dispute arising out of this advertisement including the recruitment process shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Delhi.
- (h) **PENALTY FOR WRONG ANSWERS:** There will be deduction of 0.25 marks for each wrong answer in the on-line examination.
- (i) Canvassing in any form will be a disqualification.
- (j) In case any dispute arises on account of interpretation of clauses in any version of this advertisement other than English, the English version available on BIS website shall prevail.
- (k) BIS shall not be responsible for any application made/ wrong information provided by an unauthorized person / institution. Candidates are advised not to share their application details with anyone.
- (l) Appointment of candidates shall be subject to his/her being declared medically fit, and also subject to service and conduct rules applicable to BIS. Decision of BIS will be final and binding on candidates.
- (m) BIS reserves the right to change (cancel/ modify or add) any of the criteria, method of selection and allotment with or without assigning any reason.
- (n) The possibility of occurrence of some problem in the administration of the examination cannot be ruled out completely which may impact test delivery and/or result from being generated. In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates, delay in test. Conduct of a re-exam is at the absolute discretion of test conducting body. Candidates will not have any claim for a re-test. Candidates not willing to move or not willing to participate in the delayed process of test delivery shall be summarily rejected from the process.
- (o) BIS shall make efforts to conduct the online examination for each post in a separate session. But in case, the on-line examination for all (or certain) posts is required to be conducted on the same day and at the same time, due to any reason, in such a situation, the candidate will be able to appear in on-line examination for only one post. Therefore, the candidates are advised to make note of this fact.
- (p) All the above-mentioned tests except the Test of English Language will be available bilingual, i.e. English and Hindi.
- (q) Separate examination will be held for each post. The examination for two or more posts can be held during same session. Candidates applying for more than one post should keep this in mind as the candidates will have the option to appear for one examination only.

- (r) For Group 'A' posts, the candidates shall be provisionally selected by giving eighty-five per cent weightage to the online examination and fifteen per cent weightage to the interview and the number of candidates to be called for interview shall be not more than four times the number of vacancies advertised in the order of merit from among the candidates who have secured at least fifty percent marks in the online examination.
- (s) For Group 'B' and Group 'C' posts, the candidates shall be provisionally selected on the basis of merit as determined by the aggregate marks obtained in online examination and qualifying the prescribed Skill/Practical/Trade Test viz. Shorthand Test or Typing Speed Test or Trade Test or combination thereof, which shall be qualifying tests only and the number of candidates to be called for skill test shall be not more than four times the number of vacancies advertised, in the order of merit from among the candidates who have secured at least fifty percent marks in the aggregate in the online examination.
- (t) **Instructions for Existing Departmental Candidates of BIS** (*i.e. presently serving BIS employees*) who fulfill the eligibility criteria can apply directly and will not require separate permission.
- (u) **Instructions for candidates already in service:** Candidates already in service in Govt./State/PSU/etc. will have to submit "No Objection Certificate" from their employer at the time of interview/skill test/shorthand test/practical/trade test, as the case may be.
- (v) The applicant should possess the required qualifications on the last date of submitting the application. Therefore, appearing cases / incomplete qualification will not be accepted under any circumstances. Experience, wherever required, should be for the period after acquiring requisite educational qualifications for the post.
- (w) Candidate should indicate the percentage obtained in Graduation calculated to the nearest two decimals in the online application. Where CGPA / OGPA is awarded, the same should be converted into percentage and indicated in the online application.
- (x) Calculation of Percentage: The percentage of marks shall be arrived at by dividing the marks obtained by the candidate in all the subjects in all semester(s)/year(s) by aggregate maximum marks in all the subjects irrespective of honors/optional / additional optional subject, if any. This will be applicable for those Universities also where Class / Grade is decided on basis of Honors marks only. The fraction of percentage so arrived will be ignored i.e. 59.99% will be treated as less than 60% and 49.99 % will be treated as less than 50%.
- (y) All the educational qualifications mentioned should be from a University/Institution/Board recognized by UGC, Govt. of India/approved by Govt. Regulatory Bodies. In the case of dual qualifications/specialization, candidates have to necessarily produce proof at the time of recruitment process that their major specialization conforms to the requisite eligibility prescribed for the post.

Date: 07 September 2024
Place: New Delhi

Director (Establishment)
Bureau of Indian Standards

GENERAL INSTRUCTIONS REGARDING RESERVATION

Abbreviations:

UR- Unreserved	OBC - Other Backward Classes	EWS - Economically Weaker Section
PwD- Persons with Disability	SC – Scheduled Caste	ST – Scheduled Tribe
EXSM - Ex-servicemen	HI - Hearing Impairment	VI - Visual Impairment
ID&MI/MD - Intellectual Disability & Mental Illness/Multiple Diseases		

- General:**
- “Interlocking reservation will be provided to PWD candidates as per Govt. of India instructions”; and
 - PWDS with minimum 40% disability shall only be eligible to apply for competing for the posts advertised.

1. Definition of Persons with Disabilities (PWDs) [Divyangjan]:

Under Section 2 (r) of the Right of Persons with Disabilities Act 2016, only such persons would be eligible for reservation who suffer from not less than 40% of specified disability and are certified by a Medical Board constituted by the Central/State Government. Candidates claiming such benefits should produce certificate in original (by the Competent Authority issued on or before the last date of online submission of application in the prescribed format available at the end of this advertisement) in support of their claim at the time of Interview/at any stage of the recruitment process. Persons with Disabilities will have to work in any Regional Office/Branch Office as per requirement. Candidates with the following disabilities are eligible to apply against the vacancies reserved for them (as per GOI guidelines dated 15 January 2018):

- Blindness and Low Vision –**
 - "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—
 - total absence of sight; or
 - visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
 - limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.
 - "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—
 - visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
 - limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.
- Deaf and Hard of Hearing–**
 - "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears; (b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;.
- Locomotive Disability** including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy –

A Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

- "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;
- "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;
- "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

- (d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;
 - (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance
- iv) **Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness**
- 1. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.
 - 2. Intellectual disability, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—
 - (a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;
 - (b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.
 - 3. Mental behaviour, —
 "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by sub normality of intelligence.
 - 4. Disability caused due to—
 - (a) chronic neurological conditions, such as—
 - (i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;
 - (ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.
 - (b) Blood disorder—
 - (i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;
 - (ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin.
 - (iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.
- v) **Multiple disabilities from amongst persons with disabilities [under clause i to iv] including deaf-blindness -**
 Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

2. **GUIDELINES FOR PERSONS WITH DISABILITIES USING A SCRIBE**

i) The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is adversely affected permanently for any reason can use their own scribe at their cost during the online examination, subject to limits as in (ii) and (iii) below. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply:

- The candidate will have to arrange his/her own scribe at his/her own cost.
- The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the same examination. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature of both the candidate and the scribe will be cancelled. Candidates eligible for and who wish to use the services of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. Any subsequent request may not be favourably entertained.
- A person acting as a scribe for one candidate cannot be a scribe for another candidate.
- The scribe may be from any academic stream.
- Both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further in case it later transpires that he/she did not fulfill any laid down eligibility criteria or suppressed material facts the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the online examination.
- Those candidates who use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination or as otherwise advised
- Scribe should not answer on his/her own. Any such behaviour observed will result in cancellation of candidature
- Only candidates registered for compensatory time will be allowed such concessions since compensatory time given to candidates shall be system based, it shall not be possible for the test conducting agency to allow such time if he / she is not registered for the same. Candidates not registered for compensatory time shall not be allowed such concessions.
- During the exam, at any stage, if it is found that scribe is independently answering the questions, the exam session will be terminated and candidate's candidature will be cancelled. The candidature of such candidates using the services of a scribe will also be cancelled if it is reported after the examination by the test administrator personnel that the scribe independently answered the questions.

(ii) Guidelines for Candidates with locomotor disability and cerebral palsy

A compensatory time of twenty minutes per hour or otherwise advised shall be permitted for the candidates with locomotor disability and cerebral palsy where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of function (minimum of 40% impairment).

(iii) Guidelines for Visually Impaired candidates

- Visually Impaired candidates (who suffer from not less than 40% of disability) may opt to view the contents of the test in magnified font and all such candidates will be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour or otherwise advised of examination.

(iv) In case of candidates with benchmark disabilities, the provision of scribe/lab assistant can be allowed on production of a certificate from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at **APPENDIX-A**, to the effect that the person concerned has physical Limitation to write, and scribe is essential to write examination on his behalf.

(v) In case the candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking examination. The candidates with benchmark disabilities opting for own scribe shall have to submit details of the own scribe as per proforma at **APPENDIX- B**

These guidelines are subject to change in terms of GOI guidelines/ clarifications, if any, from time to time.

3. The Competent Authority for the issue of certificate shall be as specified in the “The Rights of Person with Disabilities Rules, 2017”: (as notified by GOI from time to time):
- The Competent Authority for the issue of certificate For SC/ST/OBC:
- a) District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / First Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner
 - b) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate
 - c) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar
 - d) Sub-divisional officer of the area where the candidate and or his family normally resides
4. The format of certificate to be produced by a Candidate belonging to scheduled caste or scheduled tribe and Other Backward Classes shall be as per **FORM – A** and **FORM – B** respectively, appended hereinafter.
5. For persons with Disabilities, the format of certificate of disability will be as per applicable Form (s) appended to “The Rights of Person with Disabilities Rules, 2017”. The format of certificate to be produced by a Candidate is given on **FORM C (i, ii & iii)**
6. Reservation for Economically Weaker Sections (EWSs) will be as per provision(s) contained in DoPT OM no No.36039/1/2019-Estt (Res) dated 31st January 2019. The format of certificate to be produced by a Candidate is given on **FORM D**
7. Undertaking to be submitted by Ex-servicemen is given in **Form E**

APPENDIX- A

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _____ (name of the candidate with disability), a person (nature and percentage of disability as with mentioned in the certificate of disability), s/o/D/o _ a resident of _____(Village/ District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical
Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.
Name of Government Hospital/ Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/ disability (eg, Visual impairment - ophthalmologist, Locomotive disability - Orthopaedic specialist/ PMRJ).

APPENDIX B

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I _____, a candidate with _____
(name of the disability) appearing for the _____ (name of the
examination) bearing Roll No. _____ at _____
(name of the centre) in the District _____, _____ (name of the State). My
qualification is _____

I do hereby state that _____ (name of the scribe) will
provide the service of scribe/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid
examination.

I do hereby undertake that his qualification is _____. In case,
subsequently it is found that this qualification is not as declared by the undersigned and
is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place :

Date :

FORMAT FOR SC/ ST CERTIFICATE

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*_____ son/daughter of _____ of _____ village/town/* _____ District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ belongs to the _____ caste/ Tribes* which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes*under:-

@The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 @The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 @The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951 @The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area (Reorganization) Act, 1971; the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganization) Act, 1987.]

@ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956

@The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976.

@The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962. @The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962. @The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964

@The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967 @The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968 @The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

@The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978 @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978

@The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989 @ The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990

@The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991 @ The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991

@ The Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 @The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002

@The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002

@The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

@ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati*_____ Father/mother of Shri/Srimati/Kumari*_____ of _____ village/town*_____ in District/Division*_____ of the State/Union Territory*_____ who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory of _____ issued by _____ the _____ dated _____

3. Shri/Shrimati/Kumari*_____ and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town*_____ of _____ District/Division* of the State/ Union Territory* of _____.

Signature _____

**Designation _____

(with seal of office)
State/ Union Territory*

Place: _____

Date: _____

*Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

****** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates:

- (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Dy. Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate/ +Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.
+ (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- (v) Administrator/ Secretary to Administrator/ Development Officer (Lakshadweep).

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of _____ of village/town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____.*. Shri/Smt./Kumari _____ and /or his/her family ordinarily reside (s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**.

Signature_____

Designation_____

Dated:

Seal

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** - As amended from time to time.

\$ - List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Form of declaration to be submitted by the OBC candidate (in addition to the community certificate)

I _____ Son/daughter of Shri.....resident of village/town/city.....district.....state.....hereby declare that I belong to the.....community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No 36102/22/93-Estt. (SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that as on closing date, I do not belong to persons/sections/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14th October, 2008.

Signature:.....

Full Name:.....

Address:.....

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) [See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth(DDMM/YY) _____ Age _____ years, male/female- _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(C) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent

Locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of
Notified Medical Authority)

Signature/thumb impression of the person in
whose favour certificate of disability is issued

Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
[See rule 18(1)]
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability

Certificate No _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt/Kum

_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth(DD/MM/YY) _____ Age _____
years, male/female _____

Registration No _____ permanent resident of House No _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____
_____ State _____

_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines(... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			

13	Specific Learning Disability			
14	Autism Spectrum Disorder			
15	Mental illness			
16	Chronic Neurological Conditions			
17	Multiple sclerosis			
18	Parkinson's disease			
19	Haemophilia			
20	Thalassemia			
21	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :

In figures -----percent

In words:-.....percent

2 This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve

3 Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after----- years ----- months, and therefore this certificate shall be valid till(DD/MM/YY)-----

@ eg Left/right/both arms/legs

eg Single eye

£ eg Left/Right/both ears

4 The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5 Signature and seal of the Medical Authority

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

FORM C (iii)

Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms **V and VI**)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
(See rule 18(1))

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of the
person with disability

Certificate No _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____ Registration No _____ permanent
resident of House No _____ Ward/Village/Street _____ Post Office
_____ District _____ State _____, whose
photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of
_____ disability His/her extent of percentage physical
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of
issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in
the table below:

S No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning			

	Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2 The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve

3 Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg Left/Right/both

arms/legs # - eg Single

eye/botheyes

€ - eg Left/Right/both ears

4 The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned
{Countersignature and seal
of the Chief Medical Officer/Medical
Superintendent/Head of Government
Hospital, incase the Certificate is issued by a
medical authority who is not a Government
servant (with seal)}

Signature/thumb impression of the person
in whose favour certificate of disability is
issued

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

FORM D

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____, Village/Street _____ PostOffice _____ District _____ in the State/ Union Territory _____ Pin Code _____ Whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/ her 'family'** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/ her family does not own or possess any of the following assets *** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport
size attested
photograph of
the applicant

***Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

****Note 2:** The term '**Family**' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

*****Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I _____, bearing Roll No... ,
 appearing for the Document Verification of
 the..... Examination, 20....., do
 hereby undertake that:

- (a) I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.
- (b) I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group „C“ and „D“ posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or
- (c) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of
 I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or
- (d) I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of
 Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature:

Name:

Roll Number:

Date:

Date of appointment in Armed Forces:

Date of Discharge:

Last Unit/ Corps:

Mobile Number:

Email ID:



भारतीय मानक ब्यूरो

[उपभोक्ता मामले विभाग]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार]

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002



विज्ञापन सं. 1/2024/स्थापना

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार के अंतर्गत देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, सोना/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण करने, इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों हेतु उत्तरदायी निकाय, बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली और देशभर में स्थित बीआईएस कार्यालयों में सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित पदों पर रिक्तियाँ भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से नीचे दिए गए विवरणानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

1. रिक्तियों का विवरण

क्र.स.	पदनाम	पद का वेतन लेवल	अधिकतम आयु सीमा	कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित	ई इब्ल्यू एस	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व	समानांतर रिक्तियाँ	
										दिव्यांग	भू.पू.सै.
प्रशासन एवं वित्त पद											
समूह - क पद (सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएं) :											
1.	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)- वित्त के लिए	लेवल-10 (रु. 56100-177500)	35 वर्ष	01	-	01	-	-	-	-	-
2.	सहायक निदेशक (विपणन एवं उपभोक्ता मामले)	लेवल-10 (रु. 56100-177500)	35 वर्ष	01	-	-	-	-	01	-	-
3.	सहायक निदेशक (हिंदी)	लेवल-10 (रु. 56100-177500)	35 वर्ष	01	01	-	-	-	-	-	-
समूह- ख पद (सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएं) :											
4.	निजी सहायक	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	30 वर्ष	27	12	02	04	02	07	02(01 VI,010H)	-
5.	सहायक अनुभाग अधिकारी	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	30 वर्ष	43	15	05	06	03	14	01(HI)	-
6.	सहायक (कम्प्यूटर एंडिड डिजाइन)	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	30 वर्ष	01	01	-	-	-	-	-	-
समूह - ग पद (सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएं)											
7.	आशुलिपिक	लेवल-4 (रु. 25500-81100)	27 वर्ष	19	10	02	01	02	04	01 (01 VI)	01
8.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	लेवल-4 (रु. 25500-81100)	27 वर्ष	128	58	12	19	05	34	05 [02 HI, 02 VI, 01 IDMI]	12
9.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	लेवल - 2 (रु. 19900-63200)	27 वर्ष	78	32	08	10	06	22	02 [01HI,01 IDMI]	07

प्रयोगशाला तकनीकी पद											
समूह - ख पद (सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएं) :											
10.	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	लेवल-6 (रु. 35400-112400)	30 वर्ष	27	16	02	01	04	04	03 (01 VI, 01 HI, 01 IDMI)	-
विषयवार रिक्तियाँ											
	यांत्रिकी			13	07	01	01	02	02	-	-
	रसायन			12	07	01	-	02	02	-	-
	माइक्रोबायोलॉजी			02	02	-	-	-	-	-	-
समूह - ग पद (सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएं) :											
11.	वरिष्ठ तकनीशियन	लेवल-4 (रु. 25500-81100)	27 वर्ष	18	11	01	01	01	04	01 (01HI)	01
विषयवार रिक्तियाँ											
	कारपेंटर			07	03	01	01	01	01	-	-
	वेल्डर			01	01	-	-	-	-	-	-
	प्लम्बर			02	01	--	-	-	01	-	-
	फीटर			05	04	-	-	-	01	-	-
	इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन			03	02	-	-	-	01	-	-
12.	तकनीशियन इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन	लेवल-2 (रु. 19900-63200)	27 वर्ष	01	-	-	-	-	01	-	-

संक्षिप्तियाँ:

अना- अनारक्षित	अ.पि.व - अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
पीडब्ल्यूडी- दिव्यांग	अ.जा - अनुसूचित जाति	अ.ज.जा - अनुसूचित जनजाति
भू.पू.सै- भूतपूर्व सैनिक	श्र.बा- श्रवण बाधित	दृ.बा- दृष्टि बाधित
एलडी- लोकोमोटर निशक्तता	आईडी एवं एमआई/एमडी - बौद्धिक निशक्तता एवं मानसिक अस्वस्थता/ बहु व्याधियाँ	

नोट:

- दिव्यांग अभ्यर्थियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार "इंटरलॉकिंग आरक्षण" उपलब्ध कराया जाएगा।
- केवल कम से कम 40% निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्ति ही उनके लिए आरक्षित पदों पर प्रतिस्पर्धा अथवा किसी भी शिथिलता /छूट का लाभ उठाने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
- अभ्यर्थी को नियुक्ति होने पर देश में स्थित बीआईएस के किसी भी कार्यालयों में तैनात नियुक्त किए जाने का अधिकार बीआईएस के पास सुरक्षित होगा।
- महत्वपूर्ण नोट:** आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार विज्ञापन में निर्धारित योग्यता, अनुभव, आयु आदि रखने वाले अभ्यर्थी ही विज्ञापित पदों के लिए पात्र होंगे।
- आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: **09 सितम्बर 2024 (00.00 बजे) से मध्यरात्रि 30 सितम्बर 2024 तक ।**

2. शैक्षणिक योग्यता और अनुभव (सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए):

क्रमांक	पद का नाम	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1.	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)- वित्त के लिए	(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट/सर्वोडिनेट अकाउंटेंट सर्विस एकाउंटेंट/ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ); और (ii) केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक/ स्वायत्त निकाय/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेन्सी में सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।
2.	सहायक निदेशक (विपणन और उपभोक्ता मामले)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) या जनसंचार में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/ सांविधिक/स्वायत्त निकाय/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में मार्केटिंग/जनसंचार/ सोशल वर्किंग के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।
3.	सहायक निदेशक (हिंदी)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य जिसमें अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम रहा हो और डिग्री स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो; या (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सांविधिक/स्वायत्त निकाय/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसी में हिन्दी में सद्भावली कार्य और/या अंग्रेजी से हिन्दी या विपर्ययन अनुवाद कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव।
4.	निजी सहायक	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और (ख) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी कम से कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रूपरेखा (एमएसक्यूएफ) के लेवल -6 में प्रवीण होना चाहिए। यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी; और ग) अभ्यर्थी का आशुलिपि परीक्षण में सात मिनट तक सौ शब्द अंग्रेजी या हिन्दी में श्रुतिलेखन होगा जिसे पैंतालीस मिनट (अंग्रेजी श्रुतिलेखन) और साठ में (हिन्दी श्रुतिलेखन) में प्रतिलेखन करना होगा और कम्प्यूटर का ज्ञान अपेक्षित होगा। दृष्टि बाधित ऐसे उम्मीदवार, जिनकी निःशक्तता चालीस प्रतिशत और इससे अधिक हो, उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 70 मिनट और हिन्दी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 90 मिनट दिये जाएंगे। अनुमेय गलतियाँ 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुमेय गलतियों में 10 प्रतिशत शिथिल की जा सकती है।
5.	सहायक अनुभाग अधिकारी	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य; और ii) कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रूपरेखा के लेवल -6 में प्रवीण होना चाहिए। ये परीक्षण अर्हक प्रकृति की होगी; और iii) कम्प्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षण आयोजित की जाएगी।

क्रमांक	पद का नाम	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
6.	सहायक (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन)	ऑटो केड में पांच वर्ष के अनुभव सहित विज्ञान में स्नातक की डिग्री और टाइपोग्राफी का कार्यसाधक ज्ञान; या ऑटो केड (सीएडी) में पांच साल के अनुभव के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री और प्रासंगिक विषय में ड्राफ्ट्समैनशिप; या सिविल/मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ ऑटो केड (CAD) में पांच साल का अनुभव और प्रासंगिक विषय में ड्राफ्ट्समैनशिप।
7.	आशुलिपिक	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; ii) कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा: अभ्यर्थी को कम से कम राष्ट्रीय कौशल रूपरेखा के लेवल-5 में प्रवीण होना चाहिए। ये परीक्षण अर्हक प्रकृति की होगी; और iii) आशुलिपि परीक्षा: अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि परीक्षा जिसे कम्प्यूटर पर क्रमशः 50 मिनट या 60 मिनट में प्रतिलेखन करना होगा। दृष्टि बाधित ऐसे उम्मीदवार जिसकी निशक्ताता चालीस प्रतिशत और इससे अधिक हो, उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 70 मिनट और हिन्दी आशुलिपि परीक्षण के प्रतिलेखन के लिए 90 मिनट दिये जाएंगे। अनुमेय गलतियाँ 5 प्रतिशत। यदि विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार किसी भी प्रवर्ग में अर्हित अभ्यर्थी (अर्थात् 5 प्रतिशत गलतियों के साथ) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुमेय गलतियों में 10 प्रतिशत की शिथिलता की जा सकती है।
8.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; तथा ii) कम्प्यूटर प्रवीणता में अर्हता कौशल परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होगा: क) वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट - 15 मिनट में 2000 की- डिप्रेशन; ख) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेड शीट्स में टेस्ट - 15 मिनट; और ग) पावर प्वाइंट (माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में टेस्ट - 15 मिनट
9.	कानिष्ठ सहायक सचिवालय	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; ii) कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा : अभ्यर्थी कम से कम राष्ट्रीय कौशल अर्हक रूपरेखा के लेवल -5 में प्रवीण होना चाहिए। ये परीक्षण अर्हक प्रकृति की होगी ; और iii) टंकण गति परीक्षण: कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होनी चाहिए। (10500 केडीपीएच/ 9000 केडीपीएच के साथ प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेशन की औषत पर 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः के समक्ष (अनुमत समय 10 मिनट)

क्रमांक	पद का नाम	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
10.	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	यांत्रिक विषय के लिए: न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों के साथ मैकेनिकल में तीन वर्षीय डिप्लोमा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पचास प्रतिशत अंक)। रासायनिक विषय के लिए न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत) के साथ विज्ञापन में स्नातक की डिग्री (मुख्य विषय में से एक के रूप में रसायन विज्ञान के साथ) माइक्रोबायोलॉजी विषय के लिए न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत) के साथ विज्ञापन में स्नातक की डिग्री (मुख्य विषय में से एक के रूप में माइक्रोबायोलॉजी के साथ)
11.	वरिष्ठ तकनीशियन	i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; ii) निम्नलिखित में से किसी भी ट्रेड में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र: (क) इलेक्ट्रीशियन; (ख) फिटर; (ग) बढ़ई; (घ) प्लंबर; (ङ.) वायरमैन (च) वेल्डर (वेल्डर को प्रासंगिक भारतीय मानक या इसके समकक्ष के अनुसार वेल्डर की योग्यता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए); और iii) संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय अप्रेंटिसिप प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का प्रयोगिक अनुभव।
12.	तकनीशियन	i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; ii) निम्नलिखित में से किसी भी ट्रेड में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र: (क) इलेक्ट्रीशियन (ख) वायरमैन; एवं iii) संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र

3. भर्ती की प्रक्रिया (सीधी भर्ती द्वारा पद भरे जायें)

क्रमांक	पद का नाम	भर्ती की प्रक्रिया
1.	सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) - वित्त के लिए	क) ऑनलाइन परीक्षा; और ख) साक्षात्कार
2.	सहायक निदेशक (विपणन और उपभोक्ता मामले)	क) ऑनलाइन परीक्षा; और ख) साक्षात्कार
3.	सहायक निदेशक (हिंदी)	क) ऑनलाइन परीक्षा ;और ख) साक्षात्कार
4.	निजी सहायक	क) ऑनलाइन परीक्षा ; और ख) कौशल परीक्षा: i) <u>कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा</u>: परीक्षा में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के स्तर -6 पर पाठ्यक्रम शामिल होगा, जो अर्हक प्रकृति की होगी। ii) <u>शॉर्टहैंड टेस्ट</u>: अंग्रेजी या हिंदी शॉर्टहैंड टेस्ट जिसमें सात मिनट के लिए सौ शब्द प्रति मिनट की दर से श्रुतलेख परीक्षा शामिल है, जिसे अभ्यर्थियों को पैंतालीस मिनट (अंग्रेजी श्रुतलेख) और साठ मिनट (हिंदी श्रुतलेख) में लिखना और कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक होगा।

		चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की विकलांगता वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अंग्रेजी शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए सत्तर मिनट में और हिंदी शॉर्टहैंड टेस्ट के लिए नब्बे मिनट में सामग्री को ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
5.	सहायक अनुभाग अधिकारी	क) ऑनलाइन परीक्षा; और ख) कौशल परीक्षा: i) <u>कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा:</u> परीक्षा में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के स्तर -6 पर पाठ्यक्रम शामिल होगा, जो अर्हक प्रकृति की होगी। ii) <u>टाइपिंग स्पीड टेस्ट:</u> [कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति (पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी पर 10500केडीपीएच/9000केडीपीएच के अनुरूप है)] परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
6.	सहायक (कम्प्यूटर एडिड डिजाइन)	क) ऑन लाइन परीक्षा ; और ख) ऑटो केड (CAD)/ड्राफ्टमैनशिप का उपयोग करके ड्राइंग पर व्यावहारिक कौशल परीक्षण। परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
7.	आशुलिपिक	क) ऑनलाइन परीक्षा; और ख) कौशल परीक्षा: i) <u>कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा:</u> परीक्षा में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के स्तर -5 पर पाठ्यक्रम शामिल होगा, जो अर्हक प्रकृति की होगी। ii) <u>शॉर्टहैंड टेस्ट</u> अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपि परीक्षा अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति से होगी जिसे अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर क्रमशः पचपन या पैंसठ मिनट में लिखना होगा। परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।
8.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	क) ऑनलाइन परीक्षा ; और ख) कम्प्यूटर प्रवीणता में योग्यता कौशल परीक्षा जिसमें निम्न शामिल है: क) वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट पंद्रह मिनट में 2000कुंजी डिप्रेशन; ख) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्प्रेड शीट्स में टेस्ट - पंद्रह मिनट; और ग) पावर प्वाइंट में टेस्ट (माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट) - पंद्रह मिनट
9.	जूनियर सचिवालय सहायक	क) ऑनलाइन परीक्षा; और ख) टाइपिंग स्पीड टेस्ट: कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति (पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट 10500केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप है, औसतन 5 कुंजी डिप्रेशन प्रत्येक शब्द के लिए) आवंटित समय - (10 मिनट) परीक्षा क्वालीफाइंग

10.	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	क) ऑन लाइन परीक्षा; और ख) प्रैक्टिकल/स्किल टेस्ट
11.	वरिष्ठ तकनीशियन	क) ऑन लाइन परीक्षा; और ख) प्रैक्टिकल/ ट्रेड टेस्ट
12.	तकनीशियन	क) ऑन लाइन परीक्षा; और ख) प्रैक्टिकल/ट्रेड टेस्ट

ऑनलाइन परीक्षा : ऑनलाइन परीक्षा की संरचना के बारे में विवरण; आयु में छुट; परीक्षा केंद्र; और सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए ऑन-लाइन परीक्षा में बैठने के लिए अन्य दिशा-निर्देश/सूचना नीचे दी गई है:

क) ऑनलाइन परीक्षा की संरचना

i) सहायक निदेशक (हिंदी), सहायक निदेशक (वित्त) और सहायक निदेशक (विपणन और उपभोक्ता मामले) के पदों के लिए, परीक्षा स्नातकोत्तर स्तर की होगी जिसमें निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल होंगे:

क्रमांक	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	पाठ
1.	जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग	40	40	30 मिनट	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी
2.	अंग्रेजी भाषा	40	40	30 मिनट	
3.	संख्यात्मक कौशल	20	20	20 मिनट	
4.	- सहायक निदेशक (हिंदी) के लिए: हिन्दी भाषा में डोमेन ज्ञान -सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)- वित्त के लिए वित्त में डोमेन ज्ञान -सहायक निदेशक (विपणन और उपभोक्ता मामले) के लिए: जनसंपर्क/प्रचार/विज्ञापन/वैज्ञानिक पत्रकारिता में डोमेन ज्ञान	50	50	40 मिनट	
कुल		150	150	120 मिनट	

साक्षात्कार के लिए विचार किए जाने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से कम से कम 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

ii) तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) और सहायक (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) के पदों के लिए परीक्षा स्नातक स्तर की होगी और वरिष्ठ तकनीशियन और तकनीशियन के पद के लिए परीक्षा क्रमशः सीनियर सैकंड्री एवं सैकंड्री स्तर की होगी;

निम्नलिखित पाठ्यक्रम से युक्त होगी:

क्रमांक	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	पाठ
1.	जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग	50	50	40 मिनट	
2.	सामान्य ज्ञान	25	25	20 मिनट	
3.	अंग्रेजी भाषा	25	25	20 मिनट	

4.	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) संबंधित अनुशासन का तकनीकी ज्ञान (मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी) सहायक (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) टाइपोग्राफी, ऑटो कैड, प्रैस कार्य और ड्राफ्टमैनशिप से संबंधित प्रश्न वरिष्ठ तकनीशियन आईटीआई और प्रासंगिक ट्रेड के सामान्य पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न (सीनियर सेकेंड्री लेवल) तकनीशियन आईटीआई और प्रासंगिक ट्रेड के सामान्य पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न (सेकेंड्री लेवल)	50	50	40 मिनट	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी
कुल		150	150	120 मिनट	

कौशल परीक्षा/व्यावहारिक परीक्षा/ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक और ऑनलाइन परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से कम से कम 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। प्रकृति में अर्हक होगी।

iii) सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, आशुलिपिक और वरिष्ठ सचिवालय सहायक और जूनियर सचिवालय सहायक के पदों के लिए परीक्षा स्नातक स्तर की होगी तथा निम्नलिखित पाठ्यक्रम से युक्त होगी:

क्रमांक	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	पाठ
1.	जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग	50	50	35 मिनट	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी
2.	सामान्य ज्ञान	25	25	20 मिनट	
3.	संख्यात्मक कौशल	25	25	25 मिनट	
4.	अंग्रेजी भाषा	50	50	40 मिनट	
कुल		150	150	120 मिनट	

उम्मीदवारों को अगली चयन प्रक्रिया के लिए विचार की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

ख) आयु सीमा में छूट

विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नांकित हैं:

क्रमांक	वर्ग	अधिकतम आयु सीमा के बाद आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
3	दिव्यांग (अनारक्षित/ ईडब्ल्यूएस)	10 वर्ष
	दिव्यांग (अ.पि.व)	13 वर्ष
	दिव्यांग (अनुसूचित जाति/जनजाति)	15 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक	
	समूह क एवं ख (भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशंड अधिकारी	05 वर्ष
	समूह ग भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को वास्तविक आयु में से, की गई मिलिट्री सेवा को, घटाने के बाद 03 वर्ष ।
	समूह ग भूतपूर्व सैनिक (अ.पि.व)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को वास्तविक आयु में से, की गई मिलिट्री सेवा को घटाने के बाद 06 (3+3) वर्ष ।
	समूह ग भूतपूर्व सैनिक (अ.जा/अ.ज.जा)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को वास्तविक आयु में से, की गई मिलिट्री सेवाको, घटाने के बाद 08 (3+5) वर्ष ।
5	रक्षा कार्मिक जो विदेश के साथ अथवा किसी अशांत क्षेत्र में युद्ध स्थिति के दौरान ऑपरेशन में निःशक्त होने के परिणामस्वरूप रिलीज किये गये हो।	03 वर्ष
	रक्षा कार्मिक जो विदेश के साथ अथवा किसी अशांत क्षेत्र में युद्ध स्थिति के दौरान ऑपरेशन में निःशक्त होने के परिणामस्वरूप रिलीज किये गये हो। (अनुसूचित जाति/जनजाति)	8 वर्ष
6	समूह ग पद हेतु	
	विधवा/परित्यक्त महिला/ कानूनी रूप से विलग महिला और जिसने पुनर्विवाह न किया हो	35 वर्ष
	विधवा/परित्यक्त महिला/ कानूनी रूप से विलग महिला और जिसने पुनर्विवाह न किया हो (अनुसूचित जाति/जनजाति)	40 वर्ष
7	बीआईएस कर्मचारी (सेवारत मात्र)	50 वर्ष की आयु तक

नोट :

क) उपर्युक्त मदों के अंतर्गत अथवा अन्य किसी मद के संयोजन में संचयी आयु छूट उपलब्ध नहीं होगी।

ख) चूंकि बीआईएस स्वायत्त निकाय है अतः केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को आयु-छूट उपलब्ध नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट (ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तारीख पर)

- 1) सहायक निदेशक (हिंदी), सहायक निदेशक (वित्त), सहायक निदेशक (विपणन एवं उपभोक्ता मामले), सहायक अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, सहायक (कम्प्यूटर एड्ड डिज़ाइन) एवं तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) के पदों के लिए :
 - क) विदेश के साथ अथवा अशांत क्षेत्र में युद्ध स्थिति के दौरान ऑपरेशन में निशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप रिलीज किये गये युद्ध रक्षा सेवा कर्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक (अ.जा/ज.जा के लिए 8 वर्ष)
 - ख) कम से कम पाँच वर्ष की मिलिट्री सेवा कर चुकने और रिलीज हो गए कमीशंड अधिकारियों और ईसीओएस/एसएसओएस सहित पूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम पाँच वर्ष तक (क) दुराचार अथवा अक्षमता के कारण बर्खास्त अथवा कार्यमुक्त किए जाने के अन्यथा एसाइमेंट के पूरा होने पर (जिनका असाइमेंट एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है, उनके सहित) अथवा (ख) मिलिट्री सेवा के कारण हुई किसी शारिरिक निशक्तता के कारण अथवा (ग) अशक्तता होने पर अधिकतम पाँच वर्ष की छुट ।
 - ग) दिनांक 30 सितम्बर 2024 को मिलिट्री सेवा में पाँच वर्ष कार्य की आरंभिक अवधि पूरी कर लेने वाले ईसीओएस/एसएसओएस के मामले में और जिनका असाइमेंट पाँच वर्ष से आगे विस्तारित कर दिया गया है और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा के लिए अधिकतम पाँच वर्ष तक।
- 2) आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, वरिष्ठ तकनीशियन, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और तकनीशियन के पदों के लिए:
 - क) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सशस्त्र बल में कम से कम छ माह की निरन्तर सेवा की हो, उन्हें इस प्रकार की सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से कम करने की अनुमति होगी और यदि परिणामी आयु निर्धारित अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है तो उन्हें आयु सीमा की शर्त को पूरा करने के लिए उपयुक्त माना जाएगा ;
 - ख) उन भूतपूर्व सैनिकों, जो पहले ही केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सिविल पदों पर नियमित रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, को भी किसी भी समूह/पद पर होते हुए भी केन्द्र सरकार के अन्तर्गत किसी उच्चतर पद अथवा सेवा में अन्य रोजगार प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिक के लिए अनुमेय आयु में छूट के अनुसार लाभ लेने के अनुमति होगी । तथापि, इस प्रकार के अभ्यर्थी केन्द्र सरकार के भूतपूर्व सैनिकों के लिए (का. जा. 36.034/6/90- स्था (एससीटी) दिनांक 10.10.94 आरक्षण के लाभ, यदि कोई हो, के पात्र नहीं होंगे; और
 - ग) निःशक्त रक्षा सेवा कर्मिकों को निर्धारित उच्चतर आयु सीमा से अधिक आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट (आ.जा/ज.जा से संबंधित निशक्त रक्षा सेवा कर्मिकों के मामले में आठ वर्ष) इस शर्त के साथ मिलेगी कि उन्हें आयु सीमा के अन्तर्गत आने वाले किसी सामान्य अभ्यर्थी के लिए अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या की अपेक्षा किसी सेवा, या सेवा समूह में भर्ती के संबंध में अवसरों की अधिक संख्या का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। (आयु में छूट का दावा करने के लिए निशक्त रक्षा सेवा कर्मिक के दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में महानिदेशक, रिसेटलमेंट, रक्षा मंत्रालय का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा)।

नोट I: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक रि-इम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस एंड पोस्ट्स) नियमावली 1979, समय-समय पर यथा संशोधित में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट II: उपर्युक्त पैरा 1 (क) एवं (ख) और 2 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत आयु में छूट ईसीओएस/एसएसओएस सहित उन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशंड अधिकारियों के लिये अनुमति नहीं होगी जो अपने अनुरोध पर रिलीज हुये हों।

नोट III: आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/ आशुलिपिक परीक्षा/व्यावहारिक कौशल परीक्षा और तदनन्तर भर्ती प्रक्रिया के अन्य किसी चयन पर बीआईएस की अपेक्षानुसार अनिवार्य प्रमाणपत्र (त्रो) की प्रतियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

नोट IV: अनारक्षित रिक्तियों अर्थात् वह पद जिनके लिए अ.जा/ज.जा/अ. पि.व हेतु रिक्तियों का विज्ञापन नहीं दिया गया है, उन पदों पर अ. जा/ ज. जा/अ. पि. व (नॉन क्रिमिलेयर) से संबंधित आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर सामान्य मानदंडों के अंतर्गत विचार किया जाएगा और उन्हें उच्चतर आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ग) परीक्षा केंद्र (आनुमानित)

परीक्षा निम्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी/की जा सकती है:

क्रमांक	राज्य	परीक्षा शहर	क्रमांक	राज्य	परीक्षा शहर
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	26	तमिलनाडु	चेन्नई
2	आंध्र प्रदेश	गुंटूर/विजयवाड़ा	27	तमिलनाडु	कोयंबटूर
3	बिहार	पटना	28	तमिलनाडु	मदुरै
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	29	तेलंगाना	हैदराबाद, खम्मम
5	गोवा	पणजी	30	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
6	गुजरात	अहमदाबाद/गांधीनगर	31	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज
7	गुजरात	राजकोट	32	उत्तराखंड	देहरादून
8	हरियाणा	चंडीगढ़/मोहाली	33	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला, बिलासपुर	34	सिक्किम	गंगटोक
10	झारखंड	रांची	35	असम	गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, तेजपुर, डिब्रूगढ़
11	कर्नाटक	बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़	36	अरुणाचल प्रदेश	नहार्लेगुन
12	केरल	तिरुवनंतपुरम	37	मेघालय	शिलोंग
13	केरल	एर्नाकुलम	38	त्रिपुरा	अगरतला
14	मध्य प्रदेश	भोपाल	39	मणिपुर	इम्फाल
15	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	40	मिजोरम	आइजोल
16	मध्य प्रदेश	इंदौर	41	नगालैंड	कोहिमा
17	महाराष्ट्र	मुंबई/नवी मुंबई /ठाणे /एमएमआर	42	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
18	महाराष्ट्र	नासिक, छत्रपति संभाजी नगर	43	चंडीगढ़	चंडीगढ़/मोहाली
19	महाराष्ट्र	पुणे	44	दिल्ली/एनसीआर	दिल्ली/एनसीआर

20	महाराष्ट्र	नागपुर	45	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	सूरत
21	उड़ीसा	भुवनेश्वर	46	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और श्रीनगर
22	पंजाब	चंडीगढ़/मोहाली	47	लद्दाख	लेह
23	पंजाब	भटिंडा	48	लक्षद्वीप	कवरत्ती
24	राजस्थान	जयपुर	49	पुदुचेरी	पुदुचेरी
25	राजस्थान	जोधपुर			

1. संबंधित बुलावा पत्र में दिये गये स्थान पर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी।
2. परीक्षा केंद्र/स्थान/सत्र तारीख बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. बीआईएस के पास अपने विवेकानुसार, अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक साध्यता के आधार पर किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने/ किसी परीक्षा केंद्र को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. बीआईएस को अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी द्वारा चुने गये परीक्षा केंद्र के स्थान पर अन्य कोई परीक्षा केंद्र अलॉट कर सकता है
5. अभ्यर्थी अपने जोखिम एवं खर्च पर परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में उपस्थित हों और बीआईएस किसी भी प्रकार की चोट अथवा हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा एक बार प्रयुक्त केंद्र चयन ही अन्तिम रहेगा।

यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो बीआईएस उन उम्मीदवारों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो बीआईएस उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घ) ऑनलाइन परीक्षा में आवेदन के लिए अन्य दिशानिर्देश/जानकारी

1. कट-ऑफस्कोर:

- i) सहायक निदेशक (हिंदी), सहायक निदेशक (वित्त), सहायक निदेशक (विपणन और उपभोक्ता मामले), सहायक अनुभाग अधिकारी, व्यक्तिगत सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पदों के लिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा।
- ii) तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला), सहायक (कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन), वरिष्ठ तकनीशियन, और तकनीशियन के पदों के लिए आगे की चयन प्रक्रिया पर विचार करने हेतु उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक और कुल अधिकतम में से कम से कम 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी,
- iii) विभिन्न सत्रों (यदि आयोजित किया जाता है) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सही अंकों को समान प्रतिशत विधि का उपयोग करके सामान्य किया जाएगा; तथा
- iv) अलग-अलग परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त नहीं होगा अपितु अभ्यर्थी को साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/ प्रायोगिक कौशल परीक्षा, जैसा भी मामला हो, के लिए बुलाए जाने के लिए अर्हता के क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च अंक हासिल करने होंगे।

2. स्कोर पर पहुँचने की प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा के अंक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा निकाले जाएंगे :

- (i) प्रत्येक ऑब्जेक्टिव परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गये प्रश्नों के सही उत्तरों की संख्या को, दिए गए गलत उत्तरों के लिए पेनल्टी लगाने के बाद, संशोधित स्कोर निकालने के लिए विचार किया जाता है।
- (ii) सम अंकों का आकलन करने के लिए विभिन्न सत्रों में हुई ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सही अंकों को कठिनाई का स्तर में मामूली अंतर को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, एक समान* किया जाता है।
*किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त स्कोर को सभी फॉर्म के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार फॉर्म के साथ सम किया जाता है।
- (iii) परीक्षा वार अंकों और कुल पर प्राप्त अंकों को दशमलव बिंदु के साथ दो अंकों तक रिपोर्ट किया जाता है।

नोट : कट-ऑफ दो चरणों में लागू किए जाते हैं :

- (i) अलग-अलग परीक्षाओं में अंको पर; (ii) कुल प्राप्तांक पर

3. अभ्यर्थियों का सत्यापन: (पहचान सत्यापन)

परीक्षा हॉल और चयन की प्रक्रिया के दौरान, मूल के साथ और अभ्यर्थी का वर्तमान में मान्य फोटो पहचान की एक फोटोकॉपी सहित प्रवेशपत्र (जिस पर एकदम प्रवेशपत्र जैसा ही नाम अंकित हो) जैसे पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटो लगी बैंक पासबुक/ फोटोग्राफ के साथ आधिकारिक लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/ फोटोग्राफ के साथ आधिकारिक लेटरहेड पर जन प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण/ किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी फोटो लगी हाल ही का वैध पहचान प्रमाण/ फोटो लगा आधार कार्ड/ फोटोग्राफ के साथ कर्मचारी पहचान प्रमाण सत्यापन के लिए पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी की पहचान का विवरण, प्रवेशपत्र पर उसके विवरण, उपस्थिति सूची और अपेक्षित दस्तावेज साथ उसकी पहचान के लिए सत्यापित किया जाएगा। पहचान में संदेह होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस वैध पहचान प्रमाण नहीं हैं।

नोट : अभ्यर्थी को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा/ साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/ अल्प लिखित परीक्षा में भाग लेने के दौरान ऑनलाइन परीक्षा प्रवेशपत्र के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा/ साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/ अल्प लिखित परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी ध्यान में रखें कि प्रवेशपत्र में अंकित नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान दिया गया) ठीक वैसा हो, जैसा कि फोटो फोटो पहचान पत्र में दिया गया है। ऐसी महिला अभ्यर्थी इस पर विशेष ध्यान दें, जिन्होंने शादी के बाद अपने पहले/ अंतिम/ मध्य नाम में परिवर्तन किये हैं। यदि प्रवेशपत्र और फोटो पहचान पत्र में दिए गए नाम में कोई अंतर होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी ने अपने नाम में परिवर्तन किया हो, तो उन्हें मूल राजपत्र अधिसूचना/ मूल विवाह प्रमाणपत्र/ मूल शपथपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

4. देरी से रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी अर्थात् परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को **परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।** प्रवेशपत्र पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पूर्व का समय है। हालांकि, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है, परन्तु अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर 4 घंटे का समय लग सकता है, जिसमें सत्यापन; और विभिन्न अपेक्षित दस्तावेज एकत्र करना; लॉगइन करना; निर्देश देना; इत्यादि जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय शामिल है।

5. स्वयं योग्यता की गारंटी

- (i) उल्लिखित पदों के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञापन में वर्णित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए अभ्यर्थी इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।
- (ii) अभ्यर्थी का परीक्षा/ बाद की प्रक्रिया में प्रवेश केवल अनंतिम है। अभ्यर्थी को प्रवेशपत्र जारी किए जाने का आशय यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर बीआईएस किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी स्तर पर यह पता लगने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और / या कि उसने कोई गलत/ झूठी जानकारी/ प्रमाणपत्र/ दस्तावेज दिया है या अन्य किसी वास्तविक तथ्य (तथ्यों) को छुपाया है। नियुक्ति के बाद इन कमियों में से किसी का पता लगने पर उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त किया जा सकता है।
- (iii) भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बीआईएस का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर बीआईएस द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

6. सूचनाएं :

- (i) ऑनलाइन परीक्षा या कौशल/ प्रायोगिक/ व्यावसायिक परीक्षा/ साक्षात्कार के संबंध में सभी सूचनाएं ईमेल और/ या एसएमएस द्वारा केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और/ या मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
- (ii) बीआईएस के नियंत्रण से परे मोबाइल नंबर, ईमेल पते, तकनीकी गलती या अन्यथा में परिवर्तन के मामले में सूचना/ सूचनाएं अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचती हैं, तो बीआईएस इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम जानकारी के लिए बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in समय-समय पर देखते रहें ।

7. मोबाइल फोन, पेजर्स, कैलकुलेटर या ऐसे किसी भी तरह के यंत्रों का उपयोग

- (i) परीक्षा स्थल परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द की जा सकती है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें उन्हें भविष्य की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किया जाना शामिल है।
- (ii) अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/ पेजर सहित कोई प्रतिबंधित वस्तु न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- (iii) अभ्यर्थी को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर रखने या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- (iv) ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी की सूचना हैंडआउट में दी जाएगी, जो अभ्यर्थियों को बीआईएस की वेबसाइट से प्रवेशपत्र के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा निश्चित किया गया स्क्राइब परीक्षा में किसी भी पद के लिए अभ्यर्थी न हो। प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपरोक्त उल्लंघन का पता चलने पर अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में एक से अधिक उपस्थिति/ भागीदारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी/ पात्रता रद्द कर दी जाएगी।
- (vi) एक बार पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और / या एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/ सूचना शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

8. कदाचार/ अनुचित माध्यमों के प्रयोग का दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठा, गलत या मिथ्या हो तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी प्रकार की वास्तविक जानकारी न छिपाई जाए। परीक्षा के समय, साक्षात्कार या उसके बाद की चयन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी के निम्नलिखित में दोषी होने (या दोषी पाए जाने) पर -

- (i) अनुचित साधनों का उपयोग करते हुये या
- (ii) किसी दूसरे के नाम से परीक्षा देना या किसी भी व्यक्ति के लिए परीक्षा देना या
- (iii) परीक्षा/ साक्षात्कार में दुर्व्यवहार करना अथवा किसी भी प्रयोजन से परीक्षा (परीक्षाओं) या उसकी किसी जानकारी का समग्र या आंशिक रूप से किसी भी प्रकार या तरीके, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप में प्रकट, प्रकाशित, पुनर्उत्पादित करना, उसके भंडारण या जानकारी के प्रसार को सुगम करना और भंडारित करना अथवा
- (iv) अपने अभ्यर्थी होने से संबंधित किसी अनियमित या अनुचित तरीके को अपनाना; अथवा
- (v) अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थी होने के लिए सहायता लेना, अथवा
- (vi) परीक्षा/ साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या समान प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाने पर ऐसा अभ्यर्थी स्वयं आपराधिक अभियोग का पात्र होने के अतिरिक्त:
(क) उसे उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है;
(ख) बीआईएस द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के लिए स्थायी रूप से या निर्धारित समय के लिए वंचित कर दिया जाएगा;
(ग) यदि वह बीआईएस में सेवा ग्रहण कर चुका है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

9. बुलावा पत्र (कॉल लेटर)

परीक्षा/ साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/ अल्प लिखित परीक्षा, जहां जो भी लागू हो, के लिए केन्द्र, स्थान, पता, जिस पद के लिए आवेदन किया है, के लिए तिथि एवं स्थान की सूचना संबंधित प्रवेशपत्र में दी जाएगी। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर अपना विवरण अर्थात् पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/ जन्म तिथि प्रविष्ट करके अपना प्रवेशपत्र डाउनलोड करें। **डाक/ कोरियर के माध्यम से प्रवेशपत्र /सूचना हैंडआउट की कोई हार्डकॉपी नहीं भेजी जाएगी।** सभी सूचनाएं ऑनलाइन आवेदन फार्म में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर पर ईमेल और एसएमएस द्वारा दी जाएंगी। मोबाइल नंबर, ईमेल पते में किसी तकनीकी दोष या बीआईएस के नियंत्रण से बाहर बदलाव होने के कारण अभ्यर्थी को ईमेल की गई/ एसएमएस द्वारा भेजी गई सूचना देर से मिलने/ न मिलने के लिए बीआईएस जिम्मेदार नहीं होगा।

अतएव अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी और आगे के मार्गदर्शन के लिए नियमित रूप से बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in समय-समय पर तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपना पंजीकृत ईमेल अकाउंट देखते रहें।

10. आवेदन कैसे करें

निम्नलिखित के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश/ प्रक्रिया

- क. आवेदन पंजीकरण
- ख. शुल्क भुगतान
- ग. दस्तावेज स्कैन और अपलोड

अभ्यर्थी 09 सितम्बर 2024 (00:00 hrs) से 30 सितम्बर 2024 अर्धरात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण से पूर्व ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक-

i) निम्नलिखित को स्कैन करे:

-फोटोग्राफ (4.5 सेमी x 3.5 सेमी)

-हस्ताक्षर (काली स्याही से)

-बायें अंगुठे का निशान (सफेद पेपर पर काली या नीली स्याही से)

-हस्त लिखित घोषणा (काली स्याही से सफेद कागज पर) (नीचे दिया गया पाठ)

-यह सुनिश्चित करना कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ इस विज्ञापन के अनुलग्नक III में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

ii) कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

iii) बाएं अंगुठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए। (यदि किसी अभ्यर्थी के बायां अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है)

iv) हस्त लिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है -

"मैं, _____ (अभ्यर्थी का नाम), एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। कभी भी आवश्यकता पड़ने पर मैं सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करूंगा। "

v) उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा अभ्यर्थी द्वारा केवल अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए। यदि यह किसी और द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में, जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा का पाठ टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।)

vi) आवश्यक आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण/ दस्तावेज़ तैयार रखें।

vii) एक ऐसा वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से परीक्षा इत्यादि के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना भेजा जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे अपना नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले और उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना होगा।

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार (अप्रतिदेय)

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार (अप्रतिदेय) शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 09 सितम्बर 2024 (00:00 hrs) से 30 सितम्बर 2024 अर्धरात्रि तक।

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक हस्तांतरण प्रभार का वहन अभ्यर्थी को स्वयं करना होगा।

क. आवेदन पंजीकरण

1. अभ्यर्थी बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाएं और फिर "अप्लाई ऑनलाइन" पर क्लिक करें जिससे नई स्क्रीन खुल जाएगी।

2. आवेदन पंजीकरण करने के लिए टैब "नए पंजीकरण हेतु यहां क्लिक करें" पर जाएं और नाम, संपर्क का विवरण और ईमेल आईडी प्रविष्ट करें। सिस्टम द्वारा एक अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट होगा और स्क्रीन पर आएगा। अभ्यर्थी अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लें। अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को दर्शाने वाला ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।

3. यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन फॉर्म को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से दर्ज डेटा को सेव कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण को सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसी को संशोधित करें। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित करना/ विवरण सत्यापित करवाने चाहिए कि अंतिम प्रस्तुति करने से पहले, वे सही हैं।
4. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि पूर्ण पंजीकरण बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी, या उसके पिता/ पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए क्योंकि यह प्रमाणपत्र/ मार्कशीट/ पहचान प्रमाण में दिखाई देता है। कोई भी परिवर्तन/ बदलाव अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
6. 'अपने विवरणों को सत्यापित करें' और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अपने विवरणों को सत्यापित करें और अपना आवेदन सहेजें।
7. अभ्यर्थी बिंदु "ग" के तहत विस्तृत फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
8. अभ्यर्थी आगे आवेदनपत्र के अन्य विवरण भर सकते हैं।
9. 'अंतिम रूप से जमा करने' से पहले पूरे आवेदन फॉर्म का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।
10. यदि आवश्यक हो, तो विवरण संशोधित करें, और अपलोड किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं, तभी 'पंजीकरण पूर्ण करें' पर क्लिक करें।
11. 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
12. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

क) शुल्क का भुगतान

ऑनलाइन मोड

- क.** आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके भुगतान किया जा सकता है।
- ख.** भुगतान डेबिट कार्ड (रुपय/ विजा/ मास्टर कार्ड/ मैस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/ मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
- ग.** ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें। दोहरे प्रभार से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन को न दबाएं।
- घ.** ट्रांजेक्शन के सफलतापूर्वक पूरे होने पर, ई-रसीद जनरेट होगी।
- ड.** ई-रसीद जनरेट न होना भुगतान की विफलता को इंगित करता है। भुगतान विफल होने पर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉग-इन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
- च.** अभ्यर्थियों को शुल्क विवरण निहित ऑनलाइन आवेदन पत्र और ई-रसीद का प्रिंटआउट लेना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सफल नहीं हुआ है।

छ. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए : सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध है। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक वर्तमान दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।

ज. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक बार ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद कृपया अपनी ब्राउजर विंडो बंद कर दें।

झ. शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क विवरण निहित आवेदनपत्र को प्रिंट करने की सुविधा है।

ख) दस्तावेजों की स्कैनिंग व अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक अभ्यर्थी को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान और हस्त लिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ इमेज: (4.5सेमी x 3.5सेमी)

- फोटोग्राफ हाल की पासपोर्ट स्टाइल की कलर तस्वीर हो।
- सुनिश्चित करें कि तस्वीर कलर में हो, जिसे हल्के रंग, अधिमानतः सफेद बैकग्राउंड पर लिया गया हो।
- रिलेक्स फेस से कैमरे की तरफ सीधा देखें।
- यदि तस्वीर धूप में ली गई है और आपके पीछे सूरज है तो अपने आप को छाया में रखें, ताकि आपकी नजर तिरछी न दिखे और कोई गहरी छाया न हो।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि "रेड-आई" न हो।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्श" न पड़े और आपकी आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दें।
- कैप, हेड और गहरे रंग के ग्लास वाले चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। यदि धार्मिक कारण से सिर पर कुछ पहना है तो उसकी स्वीकृति है किंतु इससे आपका चेहरा ढका न हो।
- आयाम 200×230 पिक्सेल (अधिमानतः)
- फाइल का आकार 20केबी-50केबी के बीच हो।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई इमेज का आकार 50केबी से अधिक न हो। यदि फाइल का आकार 50केबी से अधिक है तो कृपया डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या इत्यादि स्कैनिंग की प्रक्रिया के अनुसार स्कैनर की सेटिंग समायोजित करें।

हस्ताक्षर, बायें अंगूठे के निशान और हस्त लिखित घोषणा की इमेज :

- आवेदक सफेद पेपर पर काली स्याही वाले पेन से ही हस्ताक्षर करें।
 - आयाम 140×60 पिक्सेल (अधिमानतः)
 - हस्ताक्षर के लिए फाइल का आकार 10केबी-20केबी के बीच हो और बायें अंगूठे के निशान के लिए 20केबी-50केबी के बीच हो।
 - सुनिश्चित करें कि स्कैन की हुई इमेज का आकार 20केबी से अधिक न हो।
- आवेदक को अपने बाएं अंगूठे का निशान सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाना है।
 - फाइल टाइप: जेपीजी/ जेपीईजी
 - आयाम: 200 डीपीआई में 240x240 पिक्सेल (अपेक्षित गुणता हेतु अधिमानतः) अर्थात् 3 सेमी* 3सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
 - फाइल साइज: 20केबी-50केबी
- आवेदक को काली इंक से सफेद कागज पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखना है।
 - फाइल टाइप: जेपीजी/जेपीईजी

- o आयाम: 200 डीपीआई में 800x400 पिक्सेल (अपेक्षित गुणता हेतु अधिमानतः) अर्थात् 10सेमी* 5सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
- o फाइल साइज: 50केबी-100केबी
- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा आवेदक का होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति का।
- यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या प्रवेश पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर/ हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

दस्तावेजों की स्कैनिंग:

- o स्कैनर रिजोल्यूशन को न्यूनतम 200डीपीआई (डॉट प्रति इंच) पर सेट करें।
- o कलर को टू कलर पर सेट करें।
- o यथा उपरोल्लिखित फाइल साइज
- o स्कैनर में फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बायें अंगूठे के निशान/ हस्त लिखित घोषणा की ऐज तक इमेज को क्रॉप करें और अंतिम आकार (ऊपर निर्दिष्टानुसार) में इमेज को क्राप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें।
- o इमेज फाइल जेपीजी अथवा जेपीईजी प्रारूप में हों। उदाहरण के लिए फाइल का नाम: इमेज 01.जेपीजी अथवा इमेज 01.जेपीईजी हो। इमेज के आयाम फोल्डर फाइलों की लिस्टिंग द्वारा अथवा इमेज आइकॉन पर माउस को मूव करके चेक किए जा सकते हैं।
- o एमएस विंडोज/ एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी आसानी से एमएसपेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके दस्तावेजों को आसानी से.जेपीईजी फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेजों को फाइल मेनु में 'सेव एज' विकल्प का उपयोग करके जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। क्राप और रिसाइज विकल्प का उपयोग करके साइज को एडजस्ट किया जा सकता है।

दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया

- o ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को बाएं अंगूठे के निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- o "बाएं अंगूठे के निशान /हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने हेतु "संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- o ब्राउज करें और उस स्थान का चयन करें जहां बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा फाइल सेव की गई है।
- o उस पर क्लिक करके फाइल को चुनें।
- o ओपन/अपलोड को क्लिक करें। आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप निर्दिष्ट अनुसार बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को अपलोड नहीं कर देते हैं ।
- o यदि फाइल का साइज और प्रारूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- o अपलोड की गई इमेज का प्रीव्यू इमेज की गुणता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट /धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणता के लिए पुनः अपलोड किया जा सकता है।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और हाथ से लिखित घोषणा को निर्दिष्ट रूप से अपलोड नहीं करते हैं।

- नोट:**
- (1) यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर में चेहरा या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधला है तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे की छाप/हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि चित्र स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा प्रमुख रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पहले अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है।
 - (3) उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो अपलोड की गई है। यदि हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर फोटो ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (4) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली तस्वीर आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
 - (5) यदि फोटो फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं किया जाता है तो परीक्षा के लिए प्रवेश अस्वीकार/अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा।
 - (6) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं
 - (7) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।

दस्तोवेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को बाएं अंगूठे के निशान और हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- “बाएं अंगूठे के निशान /हस्त लिखित घोषणा को अपलोड करने हेतु “संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- ब्राउज करें और उस स्थान का चयन करें जहां बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा फाइल सेव की गई है।
- उस पर क्लिक करके फाइल को चुनें।
- ओपन/अपलोड को क्लिक करें। आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप निर्दिष्ट अनुसार बाएँ अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को अपलोड नहीं कर देते हैं ।
- यदि फाइल का साइज और प्रारूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- अपलोड की गई इमेज का प्रीव्यू इमेज की गुणता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट /धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणता के लिए पुनः अपलोड किया जा सकता है।

नोट :

- (1) यदि बायें अंगुठे के निशान या हस्त लिखित घोषणा स्पष्ट नहीं है, तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में बायें अंगुठे के निशान/ हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को यह देखना होगा कि इमेज स्पष्ट हैं और उसे सही तरीके से अपलोड किया गया है। यदि बायें अंगुठे के निशान/ हस्त लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हो तो अभ्यर्थी अपना आवेदन एडिट कर सकता है और आवेदन जमा करने से पहले अपने बायें अंगुठे के निशान/ हस्त लिखित घोषणा को पुनः अपलोड कर सकता है।
- (3) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र का सिस्टम जनरेटिड प्रिंट आउट लें।

घ) आवेदन शुल्क का भुगतान:

- i. सहायक निदेशक (हिंदी), सहायक निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और सहायक निदेशक (मार्केटिंग एवं उपभोक्ता मामले) पदों के लिए आवेदन शुल्क रु. 800/- होगा और शेष पदों के लिए शुल्क रु. 500/- होगा।
- ii. एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी/ महिलाओं और बीआईएस में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- iii. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाएगा;
- iv. आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान शुल्क देय होगा और यह अप्रतिदेय होगी;
- v. भूतपूर्व सैनिकों को **केवल समूह ग पदों के लिए** शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है;
- vi. आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए कोई अन्य शुल्क, यदि कोई हो, अभ्यर्थी को वहन करना होगा।

11. घटनाओं की अनुसूची निम्नलिखित होगी :

ऑनलाइन कार्यक्रम	तिथि/अवधि
आवेदन का पंजीकरण	09 सितम्बर 2024 (00:00 बजे) से 30 सितम्बर 2024 की मध्यरात्रि तक
आवेदन शुल्क का भुगतान (ऑनलाइन)	09 सितम्बर 2024 (00:00 बजे) से 30 सितम्बर 2024 की मध्यरात्रि तक
ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र जारी करना-	परीक्षा की तारीख से 10 दिन पूर्व
ऑनलाइन परीक्षा	नवम्बर 2024 में संभावित

1. **आरक्षण** : सभी आरक्षण से संबंधित विवरण के लिए, कृपया **अनुलग्नक-1** देखें।

2. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

क) परीक्षा के प्रबंध में कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो टेस्ट डिलीवरी और/ या परिणाम जनरेट होने को प्रभावित कर सकती है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के आवागमन, परीक्षा में देरी भी शामिल है। पुनः परीक्षा का संचालन, संचालन संस्था का विवेकाधिकार है। पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कोई दावा नहीं कर सकता है। जो अभ्यर्थी आवागमन या परीक्षा में देरी होने से प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें इस प्रक्रिया से सरसरी तौर पर हटा दिया जाएगा।

(ख) भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बीआईएस का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बीआईएस द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के अंकों को बराबर किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या किसी अभ्यर्थी के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो ही एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

(घ) बीआईएस सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में बीआईएस द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/ निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाओं को साझा किया गया है और प्राप्त अंक वास्तविक/ वैध नहीं हैं, तो बीआईएस संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता और ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम को रद्द (अयोग्य) करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और परिणाम रोका जा सकता है।

(ड.) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/ या प्रक्रिया उल्लंघन का पता चलने पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी बीआईएस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे उदाहरणों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी।

(च) भर्ती प्रक्रिया या उसके बाद के कार्यक्रम से संबंधित सभी पत्राचार/ निर्देश/ जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस/ पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। महत्वपूर्ण नोटिस और सूचना बीआईएस वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। अतएव, अभ्यर्थियों को अपनी ईमेल आईडी/ एसएमएस को देखते रहना चाहिए और अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से बीआईएस वेबसाइट को भी देखते रहना चाहिए।

(छ) भर्ती प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(ज) गलत उत्तर के लिए पेनल्टी: ऑन-लाइन परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।

(झ) किसी भी प्रकार से प्रभाव डालना अयोग्यता मानी जाएगी।

(ञ) यदि अंग्रेजी के अतिरिक्त, इस विज्ञापन के किसी भी संस्करण में खंडों की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(ट) किसी अनधिकृत व्यक्ति/ संस्था द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के लिए बीआईएस जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का विवरण किसी के साथ साझा न करें।

(ठ) अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने और बीआईएस में लागू सेवा और आचरण नियमों के अधीन होगी। बीआईएस का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ड) बीआईएस बिना कारण बताए या कारण बताकर चयन और आवंटन प्रक्रिया के किसी भी मापदंड में परिवर्तन(रद्द/ संशोधित या जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ढ) परीक्षा के प्रबंध में कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो टेस्ट डिलीवरी और/ या परिणाम को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के आवागमन, परीक्षा में देरी भी शामिल है। पुनः परीक्षा का संचालन, संचालन संस्था का विवेकाधिकार है। पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कोई दावा नहीं कर सकता है। जो अभ्यर्थी आवागमन या परीक्षा में देरी होने से प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, उन्हें इस प्रक्रिया से सरसरी तौर पर हटा दिया जाएगा।

(ण) बीआईएस प्रत्येक पद के लिए एक अलग सत्र में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करेगा, परंतु किसी स्थिति में, किसी कारणवश एक ही दिन और उसी समय में सभी (अथवा कोई) पदों के लिए ऑन-लाइन परीक्षा का आयोजन किया जाना अपेक्षित होने पर अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए ऑन-लाइन परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा। इसलिए, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे इस बात को ध्यान में रखें।

(त) अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर उपर्युक्त सभी प्रश्नपत्र द्विभाषी, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे।

(थ) प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक ही सत्र के दौरान दो या दो से अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अभ्यर्थियों के पास केवल एक ही परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा।

(द) समूह 'क' पदों के लिए, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए पिचासी प्रतिशत भारांक और साक्षात्कार के लिए पंद्रह प्रतिशत भारांक दिया जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट के क्रम में साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से चार गुणा से अधिक नहीं होगी।

(ध) समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए अभ्यर्थियों का अनंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और निर्धारित कौशल/ प्रायोगिक/ ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा। शॉर्टहैंड टेस्ट या टाइपिंग स्पीड टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या उनका संयोजन, जो केवल अर्हता परीक्षण होंगे और कौशल परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों

की संख्या योग्यता के क्रम में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के चार गुना से अधिक नहीं होगी, जिन्होंने ऑनलाइन परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक हासिल किया हो।

(न) बीआईएस के मौजूदा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश: (अर्थात् वर्तमान में बीआईएस में सेवारत कर्मचारी) जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे सीधे आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(प) पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश: पहले से ही सरकार/ राज्य/ सार्वजनिक सेवा उपक्रम इत्यादि में सेवारत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/ प्रायोगिक/ ट्रेड टेस्ट के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" देना होगा।

(फ) आवेदक के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को अपेक्षित अर्हता होनी चाहिए। अतः परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मामलों/ अपूर्ण अर्हता किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जाएगी। अनुभव, जहां कहीं भी अपेक्षित हो पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं हासिल करने के बाद की अवधि में होना चाहिए।

(ब) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव तक अंकित करना चाहिए। जहां सीजीपीए/ ओजीपीए प्रदान किया जाता है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए।

(भ) प्रतिशत की गणना: अंकों का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा सभी सेमेस्टर्स/ वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ऑनर्स/ वैकल्पिक/ अतिरिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो, के बावजूद, सभी विषयों में कुल अधिकतम अंकों से भाग देकर निकाला जाएगा। यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहां केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर वर्ग/ ग्रेड तय किया जाता है। इस प्रकार निकाली गई प्रतिशत के भिन्न को नजर अंदाज किया जाएगा अर्थात् 59.99% को 60% से कम और 49.99% को 50% से कम माना जाएगा।

(म) उल्लिखित सभी शैक्षणिक अर्हताएँ यूजीसी, भारत सरकार/ सरकारी नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान/ बोर्ड से स्वीकृत होनी चाहिए। दोहरी शैक्षणिक योग्यता/ विशेषज्ञता के मामले में, अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के समय अनिवार्य रूप से प्रमाण देना होगा कि उनकी प्रमुख विशेषज्ञता पद के लिए निर्धारित अपेक्षित पात्रता के अनुरूप है।

तारीख: 07 सितम्बर 2024

स्थान: नई दिल्ली

निदेशक (स्थापना)

भारतीय मानक ब्यूरो

आरक्षण से संबंधित सामान्य निर्देश

संक्षिप्ताक्षर:

यूआर -अनारक्षित	ओबीसी-अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
पीडब्ल्यूडी -दिव्यांग व्यक्ति	अजा-अनुसूचित जाति	अ.ज.जा-अनुसूचित जनजाति
भू पू सै -भूतपूर्व सैनिक	श्र बा- श्रवण बाधित	दृ बा -दृष्टिबाधित
आईडी एवं एमआई/एमडी -बौद्धिक निःशक्तता और मानसिक रोग /बहु व्याधियाँ		

- सामान्य:** (i) भारत सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को इंटरलॉकिंग आरक्षण प्रदान किया जाएगा” ; तथा
(ii) न्यूनतम 40% निःशक्तता वाले पीडब्ल्यूडी ही विज्ञापित पदों हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

1. दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा (पीडब्ल्यूडी) [दिव्यांगजन]:

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के तहत, केवल ऐसे व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे, निर्दिष्ट निःशक्तता 40% से कम न हो, से पीड़ित हो और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो। इस तरह के लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय/भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपने दावे के समर्थन में (इस विज्ञापन के अंत में दिए गए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया) मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय में कार्य करना होगा। निम्नलिखित दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों में आवेदन करने के पात्र हैं (भारत सरकार के 15 जनवरी 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार):

i) दृष्टिहीनता और कमजोर दृष्टि-

- (क) “दृष्टिहीनता” का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की स्थिति सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई हो,
(i) दृष्टि का पूर्णतः न होना; या
(ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ “ठीक आंख में 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से कम दृष्टि तीक्ष्णता; या
(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण की हो।
(ख) “कम-दृष्टि” का अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्:
(i) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ ठीक आंख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक हो या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) हो; या
(ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री तक के कोण की हो।

ii) बधिर और कम सुनाई देना

- (क) “बधिर” का अर्थ है दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 डीबी श्रव्यता हानि वाले लोग; (ख) “कम सुनाई देना” का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 डीबी से 70 डीबी श्रव्यता हानि वाले व्यक्ति;

iii) लोकोमोटिव निःशक्तता जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मांसपेशियों की लोकोमोटिव निःशक्तता शामिल है -

लोकोमोटर निःशक्तता में (मस्क्युलोस्केलेटल या नर्वस सिस्टम या दोनों की पीड़ा से उत्पन्न स्वयं और वस्तुओं की गतिविधि से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), में सम्मिलित है:

- (क) 'कुष्ठ उपचारित व्यक्ति' का अर्थ है- ऐसा व्यक्ति जिसका कुष्ठ रोग का उपचार हो चुका हो लेकिन वह (i) प्रत्यक्ष विकृति के बिना हाथ और पैर में संवेदनहीनता और नेत्रों की पलकों और पेशियों के पक्षाघात से पीड़ित (ii) प्रत्यक्ष विकृति और पेशियों का पक्षाघात, किंतु सामान्य कार्य करने हेतु हाथ-पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना। (iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अग्रवर्ती आयु, जो उन्हें कोई भी लाभकारी उपजीविका आरंभ करने से रोकती है और कुष्ठ रोग उपचारित अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा।
- (ख) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिशीलता और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह, जो आमतौर पर जन्म के पहले, दौरान या उसके तुरंत बाद मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट भागों में नुकसान होने के कारण होता है।
- (ग) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवांशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क की 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) की वयस्क ऊंचाई या उससे कम होना;
- (घ) "मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ है वंशानुगत आनुवांशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को गतिशील बनाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल-डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और अधूरी जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसकी विशेषता है कंकाल की मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु।
- (ङ) "एसिड अटैक पीड़ितों" का अर्थ है कि एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फैकने से हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति-

iv) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगमनिःशक्तता और मानसिक बीमारी

1. "भाषण और भाषा निःशक्तता" का अर्थ है एक स्थायी निःशक्तता जो कि लैरिंगक्टोमीयावाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होती है जो कार्बनिक या न्यूरोलॉजिकल कारणों के कारण भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. बौद्धिक निःशक्तता, बौद्धिक काम काज (तर्क, शिक्षा, समस्या को हल करना) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा के कारण एक ऐसी स्थिति जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं-

(क) "विशिष्ट अधिगम निःशक्तता" का अर्थ है विषम परिस्थितियों का एक समूह जिसमें बोलने या लिखने में भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, या गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्कग्राफिया, डिस्केकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात के रूप में ऐसी स्थितियां शामिल हैं;

(ख) "ऑटिज्मस्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का मतलब है कि जीवन के पहले तीन वर्षों में आमतौर पर दिखने वाली एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति की बात चीत करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िबद्ध अनुष्ठान या व्यवहार से जुड़ी होती है।

3. मानसिक व्यवहार, -

"मानसिक बीमारी" का अर्थ सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक महत्वपूर्ण विकार जो कि स्थाई रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमताओं में जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने में अक्षम होता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जोकि किसी व्यक्ति के दिमाग के जड़ होने की स्थिति यह विशेष तौर से बुद्धि के कम-सामान्य होने का अभिलक्षण है।

4. निम्नांकित कारणों से हुई निःशक्तता

क) क्रॉनिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे-

(i) “मल्टीपल स्केलेरोसिस” का अर्थ है सूजा हुआ, नर्वस सिस्टम की बीमारी जिस में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतु के चारों ओर माइलिन क्षति ग्रस्त हो जाता है, जिसमें अपक्षय होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ताल मेल स्थापित करने में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है।

(ii) “पार्किंसंस रोग” का अर्थ है कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी गति से, तंत्रिका आंदोलन द्वारा चिह्नित नर्वस सिस्टम की एक प्रगतिशील बीमारी, मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया के अधःपतन और न्यूरोट्रांस मीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है

(ख) रक्तविकार-

(i) “हीमोफिलिया” एक वंशानुगत बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उन केनर बच्चों में संक्रमित होती है, जिसके लक्षण है रक्त के सामान्य थक्के की क्षमता में हानि, जिससे गौण घाव के फलस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) “थैलेसीमिया” का अर्थ है, वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसके लक्षण है हीमोग्लोबिन की कम या शून्य मात्रा का होना।

(iii) ‘सिकल सैलडिसीज’ से अभिप्राय है हिमोलिटिक विकार जो किसी संबद्ध ऊतकों तथा अंग क्षतिग्रस्त होने के कारण एनीमिया, दर्द होना और विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से परिलक्षित होती है; “हीमोलिटिक” से अभिप्राय है लाल रक्त कोशिकाओं की सैल झिल्ली का नष्ट होना जिससे की हीमोग्लोबिन स्रावित होने लगता है।

v) बधिरांधता सहित दिव्यांगों में बहु दिव्यांगताएँ [धारा i से iv के अंतर्गत]-

बधिरांधता सहित बहु दिव्यांगताओं (ऊपर विनिर्दिष्ट दिव्यांगता में से एक से अधिक) से अभिप्राय है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति सुनने एवं देखने में बाधित हो जिसके उसकी बोलचाल, विकास और शिक्षा में गंभीर समस्याएं आती हों।

2. एक स्क्राइब का उपयोग करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

i) दृष्टिबाधित अभ्यर्थी और अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, वे नीचे (ii) और (iii) की सीमा के अधीन, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपने खर्च पर अपने स्वयं के स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में जहां एक स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- अभ्यर्थी को अपने खर्च पर अपने स्वयं के स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।
- अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त स्क्राइब उसी परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सावधानीपूर्वक इंगित करना चाहिए। बाद में किसी भी अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।
- एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में काम करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब नहीं हो सकता।
- स्क्राइब किसी भी अकादमिक स्ट्रीम से हो सकता है।

- अभ्यर्थी के साथ-साथ स्क्राइब दोनों को यह पुष्टि करते हुए एक उपयुक्त वचनबद्धता देनी होगी कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित स्क्राइब के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम के बावजूद, आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - वे अभ्यर्थी जो स्क्राइब का उपयोग करते हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए या अन्यथा सलाह के अनुसार 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।
 - स्क्राइब को स्वयं उत्तर नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार को देखने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
 - केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसी रियायतों की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है तो स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता भी रद्द कर दी जाएगी।
- (ii) लोकोमोटर विकलांगता और मस्तिष्क पक्षाघात वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश लोकोमोटर विकलांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटे बीस मिनट या अन्यथा सलाह दी गई प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, जहां कार्य के प्रदर्शन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावी (लेखन) होता है (न्यूनतम 40% अक्षमता)।
- (iii) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश
- दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो कम से कम 40% विकलांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी हर घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे या अन्यथा सलाह दी जाएगी।
- (iv) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के मामले में, **परिशिष्ट-क** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब/प्रयोगशाला सहायक के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है। इसका आशय यह होगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है।
- (v) यदि अभ्यर्थी को अपना स्क्राइब लाने की अनुमति है तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से कम होनी चाहिए। स्वयं के स्क्राइब का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को **परिशिष्ट-ख** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

3. प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी “दिव्यांग जन अधिकार नियम, 2017” में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित): अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्या पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :
 - क) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/डिप्टि कलेक्टर/फर्स्ट क्लास स्टाइण्डरी मजिस्ट्रेट/ उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/ ताल्लुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अपर सहायक आयुक्त
 - ख) मुख्य प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
 - ग) कम से कम तहसीलदार स्तर का राजस्व अधिकारी
 - घ) उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी या उसका परिवार सामान्यतः रहते हैं।
4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति; अन्य पिछड़ा वर्ग; होने के प्रमाण पत्र का प्रारूप क्रमशः **प्रपत्र-क**; और **प्रपत्र-ख**; के अनुरूप हो जो कि इसके बाद संलग्नित हैं।
4. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, “दिव्यांग जन अधिकार नियम, 2017” में दिए गए प्रारूप के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप होगा। अभ्यर्थी द्वारा **प्रपत्र- ग (i,ii एवं iii)** में दिए गए प्रारूप में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) का आरक्षण के लिए डीओपीटी का.जा.सं. 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगा। **प्रपत्र- घ** में दिए गए प्रारूप में अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
7. भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता **प्रपत्र- ई** में दी गई है।

परिशिष्ट -क

परीक्षार्थी की लिखने में शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री(निःशक्तता के साथ दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम)श्रीमती/सुश्री/,
व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित)दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत /सुपुत्र (की जांच की हैं और यह अधिघोषित (राज्य/जिला/गांव).....निवासी.....सुपुत्री किया जाता है कि इस व्यक्ति की शारीरिक सीमाएं हैं दिव्यांगता इनकी निःशक्तता के कारण इनके लिखने की क्षमताओं को बाधित करती है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के प्रमुख
चिकित्सा अधिकारीसिविल/सर्जनचिकित्सा अधीक्षक/

नाम व पदनाम,

सरकारी अस्पतालस्वास्थ्य सेवा केन्द्र का नाम सील के साथ/

स्थान :

तारीख :

नोट अर्थात) दिव्यांगता/प्रमाण पत्र संबद्ध शाखा : दृष्टि बाधिता ऑपथलेमोजिस्ट -, लोकोमोटर दिव्यांगता पीएमआरजे/नेत्र विशेषज्ञ - द्वारा दिया गया हो।

परिशिष्ट -ख

अपना स्वयं का लिखने वाला व्यक्ति का उपयोग करने हेतु वचनबद्धता

मैं.....जिला.....,.....(राज्य का नाम) मैं..... पर (केन्द्र का नाम).....परीक्षा (परीक्षा का नाम) के लिए रोल नं.....वाले अभ्यर्थी(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम) के लिए उपस्थित रहूंगा। मेरी अर्हताहै।

मैं एतद्वारा घोषित करता/ करती हूं कि.....(लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा के लिए अधोहस्ताक्षरी को लिखने वाले/ लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतद्वारा घोषित करता/ करती हूं कि इनकी अर्हताहै। यदि बाद में यहा पाया जाता है कि इनकी अर्हता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से ऊपर है तो इस पद और इससे संबंधित दावों पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती /सुश्रीसुपुत्र/ सुपुत्री श्री/ श्रीमती.....ग्राम/ नगरजिला/ मण्डल.....राज्य/ संघशासित क्षेत्र की जाति/ जनजाति के व्यक्ति हैं, जो निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950@संविधान (अनुसूचित जाति) संघशासित राज्य आदेश, 1951@संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघशासित राज्यआदेश, 1951

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (आशोधन) आदेश, 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 एवं पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971; अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमण एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

@संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991@अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

%2.एक राज्य / संघशासित प्रशासन से विस्थापित अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमती जो कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी*के माता/ पिता हैं और जो राज्य/ संघशासित क्षेत्र के जिला/ डिविजन* में गांव/ शहर के निवासी हैं, और जाति/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे द्वारा दिनांक को जारी पत्र द्वारा राज्य/ संघशासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, उनको जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी -----और / या इनका परिवार सामान्यतया:..... गांव/ कस्बा/राज्य/ डिविजन-----राज्य संघ शासित राज्य-----के निवासी हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर)

राज्य/संघ शासित राज्य

स्थान.....

दिनांक:.....

*कृपया ऐसे शब्दों को काट दें, जो लागू नहीं हैं

@कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश उल्लेख करें

%कृपया ऐसे पैराग्राफ को काट दें, जो लागू नहीं हैं।

नोट:- यहां शब्द सामान्य रूप से निवास करता है, का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

**** अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची:**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कैलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त /डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर से कम के ना हों।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/अथवा अपने परिवार के साथ सामान्यतः निवास करता हो।
- (v) प्रशासक /प्रशासक का सचिव / विकास अधिकारी (लक्ष्यद्वीप)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री
श्री/श्रीमती.....ग्राम/नगर.....जिला/मण्डल.....राज्य के
..... समुदाय के व्यक्ति हैं जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के आधिकारिता
संकल्प सं. दिनांक के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए मान्यता प्राप्त है।
श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार राज्य के
जिला/मण्डल..... में सामान्य रूप से रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-
स्था. [एससीटी], दिनांक 8-9-1993 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था. (पंजी.)
दिनांक 9.3.2004 और 14 अक्टूबर 2008 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013 स्था. (पंजी.) दिनांक 27 मई 2013 के
संशोधित प्रारूप की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

दिनांक:.....

सील

*- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

** - समय-समय पर यथा संशोधित

\$ - अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत है।

नोट: यहां शब्द "सामान्य रूप" का इस्तेमाल वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

आबीसी अभ्यर्थियों द्वारा जमा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं-----सुपुत्र/ सुपुत्री श्री-----गाँव /कस्बा /शहर----- जिला----- राज्य----- एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं-
----- समुदाय से संबंध रखता /रखती हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36102/22/93-स्था (एससीटी)
दिनांक 8-9-1993 में उल्लिखित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप
में मान्यता दी गई है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं अंतिम तारीख को उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993,
का.ज्ञा 36033/3/2004-स्था (आरईएस) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 को अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों/वर्ग
(क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पता-----

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(अंग-विच्छेद या अंगों के स्थायीपूर्ण तरह पक्षाघात या बौनापन और दृष्टिहीनता के मामलों में)

[नियम 18 (1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का
नवीनतम
पासपोर्ट आकर का
स्वप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरा दर्शाते
हुए)

प्रमाणपत्र संख्या

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री /श्रीमती /कुमारी-----पुत्र /पत्नी /पुत्री श्री -----जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष) —
— आयु—वर्ष

पुरुष/महिला—पंजीकरण संख्या—स्थायी निवासी मकान नम्बर—वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट—डाकघर—जिला—राज्य—और
जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि

क) यह निम्नांकित का मामला है:

- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन
- दृष्टिहीनता

(कृपया जो लागू हो उस पर टिक लगाये)

ख) इनका मामले का निदान ----- है।

ग) दिशा-निर्देशों (दिशानिर्देशों के जारी होने की संख्या---- और तारीख का उल्लेख करें) के अनुसार इन्हें ----- के संबंध में
स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता/बौनापन/दृष्टिहीनता में इनकी (शरीर का अंग) में -----%(अंकों में) ----- प्रतिशत (शब्दों में)
की निःशक्तता है।

आवेदक ने अपने निवास के प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

(उस व्यक्ति का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया गया है)

दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
[नियम 18 (1) देखें]

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम
पासपोर्ट आकर का
स्वप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाणपत्र संख्या दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री / श्रीमती /कुमारी-----पुत्र/पत्नी/पुत्रीश्री -----जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष)
— आयु—वर्ष पुरुष/महिला—पंजीकरणसंख्या—स्थायी निवासी मकान नम्बर—वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट—डाकघर—जिला—राज्य—और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि

(क) वह —बहुनिःशक्तताओं से ग्रस्त है निशक्तता संबंधी दिशानिदेश के अनुसार (जारी किए गए दिशानिदेश की तिथि व संख्या-----निर्दिष्ट करें) उनकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ निःशक्तता के प्रतिशत की सीमा को आकलित किया गया है और नीचे तालिका में संगत दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्रमसं	निःशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/मानसिकरूप से दिव्यांग (% में)
1	लोकोमोटरनिःशक्तता	@		
2	मस्कलरडिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति			
4	बौनापन			
5	सेरेबल पाल्सी			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	कमदृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	बधिर	£		
10	कम सुनाईदेना	£		
11	भाषण एवं भाषा निःशक्तता			
12	बौद्धिक निःशक्तता			
13.	विशिष्ट अधिगम निःशक्तता			

14.	आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल अवस्था			
17.	मल्टीपल सीलेरोसिस			
18.	पार्किंसन बीमारी			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल बीमारी			

ख (उपरोक्त के प्रकाश में, दिशानिर्देशों .निर्दिष्ट दिशानिर्देश की सं)-एवं जारी करने की तिथि के अनुसार समग्रतः स्थायी शारीरिक (निःशक्तता, निम्नानुसार है:

अंकों मेंप्रतिशत,

शब्दों में..... प्रतिशतता

2. उक्त अवस्था प्रोग्रेसिवसुधार होना मुश्किल है/सुधार की संभावना /प्रोग्रेसिव-नॉन /

3. निःशक्तता का पुनः मूल्यांकन हो

i) अनावश्यक या

ii) ---वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है---, एवं इसका प्रमाणपत्र तक वैध रहेगा। (वर्ष/माह/दिन) -----

@अर्थात् लेफ्टदोनों भुजाये /राइट/ं टांगें/

अर्थात् एक आँख

£ अर्थात् लेफ्टदोनों कान /राइट/

4.आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दिये हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी-करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विवरण

जिस व्यक्ति के पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया उसके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

जिसके पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया गया है

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित के अतिरिक्त अन्य मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)
(नियम 18(1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का सत्यापित
फोटोग्राफ केवल चेहरा दर्शाते)
(हुए

प्रमाणपत्र सं. -----

दिनांक:-----

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने श्री/श्रीमती/कुमारी ----- के पुत्र/पत्नी/बेटी जन्मदिन
(दिन/माह/वर्ष) ----- आयु----- वर्ष, पुरुष/महिला -----पंजीकरण सं.
स्थायी आवासीय म.सं. ----- वार्ड/ग्राम/गली----- डाकघर----- जिला-----राज्य
जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगी हुई है, सावधानीपूर्वक जांच की है, एवं मैं संतुष्ट हूँ कि वह -----
--अक्षमता का मामला है। उसकी शारीरिक अक्षमता की प्रतिशतता को दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट दिशानिर्देशों की सं.
एवं जारी करने की तिथि) के अनुसार आंका गया है और निम्नसारिणी में संबंधित अक्षमता के सामने दर्शाया
गया है:

क्रमांक	अक्षमता दिव्यांगता/	प्रभावित शारीरांग	उपचार	स्थायी शारिरिकक्षति मानसिक अक्षमता %) (में
1.	लोकोमोटर निःशक्तता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्राफी			
3.	अभिसाधित			
4.	सेरेब्रल पॉल्सी			
5.	एसिड अटैक पीड़ित			
6.	सूक्ष्मदृष्टिदृष्टिवाधित/	#		
7.	बधिर	£		
8.	सुनने में मुश्किल	£		
9.	स्पीच एवं भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट लर्निंग दिव्यांगता			

12.	आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक मनोवैज्ञानिक अवस्था			
15.	मल्टीपल सीलेरोसिस			
16.	पार्किंसन बीमारी			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल बीमारी			

(जो लागू न हो उस दिव्यांगता को काट दें)

2. उपरोक्त अवस्था प्रोग्रेसिव/ नॉन-प्रोग्रेसिव/ सुधार हो सकता है /सुधार होना मुश्किल है

3. दिव्यांगता का पुनः मूल्यांकन

II) ---वर्ष ---माह के बाद सिफारिश की जाती है, एवं यह प्रमाणपत्र ----- (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@अर्थात् लेफ्ट/राइट/ दोनों भुजायें /टांगें

अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

£ अर्थात् लेफ्ट/राइट/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :

दस्तावेज की प्रकृति	जारी-करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम एवं मुहर)

(प्रतिहस्ताक्षरित)

(ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी जो सरकारी नौकर नहीं है

उनके द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र के मामले

में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी

अस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर)

जिस व्यक्ति के पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र

जारी किया उसके हस्ताक्षरअंगूठे के निशान/

टिप्पणी: गैर सरकारी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किये जाने के मामले में, जनपद के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

----- सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र की सं.....

दिनांक-----

वर्ष हेतु वैध-----

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीश्री-----कुमारी/श्रीमती/ का पुत्र -----पत्नी/पुत्री/

-----संघशासित क्षेत्र/राज्य----- जिला----- डाकघर-----गली /ग्राम

पिन कोड का स्थायी निवासी -----, जिसका फोटोग्राफ नीचे सत्यापित है -----

उनके परिवार के/से कम है उसके (रु आठ लाख केवल) लाख 8 उनकी कुल वार्षिक आय/वित्त वर्ष हेतु उसकी में से कुछ भी नहीं है: *** पास निम्नलिखित परिसम्पत्तियाँ

i. एकड़ कृषिभूमि एवं इससे अधिक 5

ii. वर्ग गज एवं इससे अधिक का आवासीय प्लॉट 1000ट

iii. अधिसूचित निगमों में वर्ग गज एवं अधिक का आवासीय प्लॉट 100

iv. अधिसूचित निगमों के अलावा स्कवेयर गज एवं अधिक का आवासीय प्लॉट 200

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ----- जाति से संबंधित है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है (केंद्रीय सूचि).

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर-----

नाम-----

पदनाम-----

अभ्यर्थी का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो लगायें

*नोट 1:संसाधनों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, इत्यादि से आय शामिल है।

** नोट 2: इस प्रयोजन हेतु व्यक्ति सहित परिवार से अभिप्राय, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके अभिभावक एवं बहन-वर्ष से कम आयु के भाई 18, उसके पतिवर्ष की आयु स 18 उसकी पत्नी एवं/े कम के बच्चे शामिल है।

*** नोट 3: “परिवार” द्वारा अर्जित सम्पत्ति विभिन्न स्थानों या भिन्न स्थानों की ईडब्ल्यूएस स्टेटस /भिन्न शहरों- के निर्धारण के लिए परीक्षा आयोजन के समय इन भूमि या सम्पत्ति को जोड़ा गया है।

भूतपूर्व सैनिक द्वारा वचनबद्धता

मैं.....जिनका अनुक्रमांक सं. परीक्षा 20.....के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि:

- (क) मैं समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और पद नियमों, 1979 में, भूतपूर्व सैनिकों के पुनः नियोजन के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।
- (ख) पुनः नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिया गया आरक्षण का लाभ लेने के बाद मैंने सिविल साइड (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों /सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित) में सरकारी नौकरी में समूह "ग" और "घ" पदों पर नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा
- (ग) मैंने सिविल में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने.....का कार्यालय में.....इस दिन.....के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचन देता/ देती हूँ कि मैंने अपने कार्यालय में अपने वर्तमान नियोक्ता के लिए उपर्युक्तलिखित परीक्षा हेतु आवेदन की तिथि वार विवरण के बारे में स्व-घोषणा /वचनपत्र प्रस्तुत किया है जिसके लिए मैंने वर्तमान सिविल नियोजन में शामिल होने से पहले आवेदन किया था; अथवा
- (घ) मैंने सिविल में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने.....का कार्यालय में.....इस दिन.....के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि उपर्युक्त में दिए गए सभी कथन मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप सत्य पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी चरण में कोई भी सूचना असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी /नियुक्ति रद्द/ समाप्त कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर :
 नाम:
 अनुक्रमांक:
 तारीख
 सशस्त्र बल में नियुक्ति की तारीख:
 सेवा निवृत्त होने की तारीख:
 अंतिम इकाई/वाहिनी:
 मोबाइल नंबर:
 ईमेल आईडी :